रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML-2007.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 4 अक्तूबर, 2007 / 12 आश्विन, 1929

हिमाचल प्रदेश सरकार

AGRICULTURE DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-171002, the 22nd September, 2007

No.Agr-A(3)4/93.—The following addition is hereby affected in this Department Notification of even number dated 15th September,2007 whereby amendment in the Recruitment and Promotion Rules,1995 for the post of H.P. Agricultural Services (Class-I- Gazetted) has been notified with immediate effect :-

Existing Provision	**Added provision**
(Column No.1-Sub-para-I-Hindi Version only)	
इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग कृषि सेवाएं {वर्ग–1 राजपत्रित } लिपिकवर्गीय भर्ती एंव प्रोन्नति नियम {प्रथम सशोघन} नियम,2007 है।	इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग कृषि सेवाएं {वर्ग–1 राजपत्रित } अलिपिक वर्गीय भर्ती एंव प्रोन्नति नियम {प्रथम संशोघन} नियम,2007 है।

(Column No.2 in Hindi version)

अनिवार्य योग्यता :–

राज्य / केन्द्रीय सरकार भारतीय कृषि अनुसंघान परिषद { आई0 सी0 ए0 आर0} द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविघालय / महाविघालय / संस्थान से द्वितीय श्रेणी में एम0एस0सी0{कृषि}	राज्य / केन्द्रीय सरकार भारतीय कृषि अनुसंघान परिषद { आई0 सी0 ए0 आर0} द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविघालय / महाविघालय / संस्थान से बी0एस0सी0{कृषि} चार वर्षिय } प्रोग्राम एंव द्वितीय श्रेणी एम0एस0सी0{कृषि}

(Column No.2.in English version)

ESSENTIAL QUALIFICATION :-

M.Sc.(Agr.) 2nd Class from a College/Institutions/University recognized by the State/Central Government/ICAR.	B.Sc.(Agr.) under four years Programme and M.Sc.(Agr.) 2nd Class from a College/ University recognized by the State/Central Government/ICAR.

(In authoritative English Text-page-1)

No.Agr.A(3)-4/93 Dated Shimla-171002, the th August,2007	No.Agr.A(3)-4/93 Dated Shimla-171002, the 15th September,2007.

By order,
Sd/-,
Principal Secretary.

———

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2 the 27th September, 2007

No. EXN-B(2) -1/2001 (Loose).— In continuation of this Department notification No EXN–B (2)-5/85 dated 8-9-2000, 27-3-2001, 8-5-2002 and notification of even number dated 21 11-2003, 12-5-2004, 8-12-2004 and 1st June, 2005, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to continue the adhoc promotion of the following Excise and Taxation Officers till the dates shown against their names in the pay scale of Rs. 7000-10980 (Gazetted Class-I) subject to the final decision of the Hon'ble Courts :-

Sr. No	Name of the Officer with designation	Continuation period of adhoc promotion
1.	S/Sh. Prem Nath Sood, ETO	1.7.2005 to 31.12.2005
2.	S.K. Pundir, ETO	-do
3.	Mohan Lal Chauhan, ETO	-d--
4.	Siri Chand, ETO	-do-
5.	Dev Raj Guleria, ETO	-do-
6.	Dhian Singh, ETO	-do-
7.	Gopal, ETO	-do-
8.	Pritam Singh,ETO	1.2.2005 to 30.11.2005 (retired on 30.11.2005)
9.	Ramesh Kapoor,ETO	1.7.2005 to 31.12.2005
10	Ranjeet Singh,ETO	-do-
11.	Bhagat Singh Negi,ETO	-do-
12.	Ramesh Kaundal,ETO	1.7.2005 to 31.12-2005.
13.	Kuldeep Thakur,ETO	-do-
14.	Hoshiar Singh,ETO	-do-
15.	Bishan Dass,ETO	-do-
16.	Desh Raj Awasthi,ETO	-do-
17.	Sita Ram Sharma, ETO	1.2.2005 to 30.11.2005(retired on 30.11.2005)
18.	Puran Chand, ETO	1.7.2005 to 31.12.2005.
19.	Mahesh Kapoor,ETO	-do-
20.	Arjun Singh Bakshi, ETO	1.7.2005 to 31.8.2005 (retired on 31.8.2005)
21.	Raj Pal Singh,ETO	1-7-2005 to 31-12-2005
22.	D.R.Diwan,ETO	-do-
23.	Karam Dass,ETO	-do-
24.	Ashok Kumar	08-05-2005 to 31-12-2005
25.	Beli Ram	-do-
26.	Dayavati	-do-

By order,
Sd/-,
Principal Secretary.

———————

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 27th September, 2007

No. FFE-B-F (3)-2/99-III. — In continuation to this department notification No. FFE-B F(3)-2/99 dated 28-5-1999, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred under subsection (4) of section 35 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 read with section 21 of the

General clauses Act, 1897, is pleased to include some areas/stations of Intention Notification No. Ft. (B) 6-16/73-SF-II dated 22-2-1994, in the Final Notification No. FFE-B-F(3)-2/99 dated 28-5 1999, which were left out while issuing Final Notification dated 28-5-1999 and now the boundary of the Great Himalayan National Park, Shamshi shall be as under:-

BOUNDARIES OF NATIONAL PARK :

North : Kaili Dhar, Phagchi Dhar, Khande Dhar, Jaraun Dhar, Baker Bihar Khol, Parbati river, Bari Dauri Thatch to the S.O.I. bench mark 5741 mtrs.

East: S.O.I. bench mark 5741 mtrs. To Pin Parbati pass, Koksani peak to Ghushu Pishu.

South : Sri-Khand dhar from Ghushu pishu to Sri Khand Mahadev and then along watershed between Plachan Gad and Tirthan Gad upto the point it meets Kharongcha dhar south of Kharongcha village.

West: **Tirthan Khad Catchment:**

Along Kharongcha village dhar to Tirthan khad across the khad along the western boundary of Rolla R.F. and Rakhundi P.F. along the village path upto Gurat Thatch.

Sainj Khad Catchment:

Along dhar culminating into a nallah East of Lapah village along the nallah to main Sainj Khad, upstreams along Sainj Khad upto the point of its confluence with Chayos nala, then along Chayos nala upto Bahli dhar and to Kandi Galu. And then from Kandi Galu to Deun dhar to Bungadhar.

In Jiwa Nal Catchment:

From Bunga dhar to Jiwa Nal, along Jiwa Nal upto nala between Jubkutan and Apgahan Thatch and along the nala upto the ridge dividing watershed of Jiwa Nal and Hurla Nal.

Area: 754.4 sq. kms.

By order,
Sd/,
Principal Secretary.

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 27 सितम्बर, 2007

संख्याः एफ.एफ.ई.–बी–एफ(3)–2/99–III.– इस विभाग की अधिसूचना संख्याः एफ.एफ.ई.–बी–एफ(3)–2/99 तारीख 28–5–1999 के क्रम को जारी रखते हुए, हिमाचल पदेश के राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 21 के साथ पठित वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 35 की

उप–धारा (4) के अधिन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आशय अधिसूचना संख्याः एफ.टी.(बी)6–16 / 73–एस एफ–।। तारीख 22–2–1994 के कुछ क्षेत्रों / स्थानों (स्टेशनज), जो अंतिम अधिसूचना तारीख 28–5–1999 को जारी करते समय दर्शाए जाने छूट गए थे, को अंतिम अधिसूचना संख्याः एफ.एफ.ई –बी–एफ(3)–2 / 99 तारीख 28–5–1999 में सम्मिलित करने के आदेश देते हैं अतः अब ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, शमशी की सीमांए निम्न प्रकार से होगीः–

राष्ट्रीय पार्क की सीमांए :–

उत्तर :– कैली धार, फागची धार, खांडे धार, जरौण धार, बेकर बिहार खोल, पार्वती नदी, बारी डौरी थाच से एस.ओ.आई. बैंच मार्क 5741 मीटर।

पूर्व :– एस.ओ.आई. बैंच मार्क 5741 मीटर से पिन पार्वती पास, कोकशैणी चोटी से घुशु पिशु।

दक्षिण :– श्री–खांडे धार से घुशू पिशु से श्री खंड महादेव, उसके उपरान्त जलागम पलाछन गाड और तीर्थन गाड के बीच पनधारा के साथ–साथ उस बिन्दु तक जहां यह खरोंगचा गांव से दक्षिण की ओर खरोंगचा धार में मिलती है।

पश्चिम :–खरोंगचा गांव की धार के साथ–साथ तीर्थन खडड तक, खडड के पार रखुंडी पी. एफ. और रौला आर. एफ. की पश्चिमी सीमा के साथ–साथ, गांव के रास्ते के साथ–साथ गुरट थाच तक।

सैंज खडड जलागम :– धार के साथ–साथ लपाहा गांव के पूर्व में एक नाले से होते हुए मुख्य सैंज खडड तक, सैंज खडड की धारा के साथ ऊपर की ओर उस बिन्दु तक जहां यह कयोस नाला में मिलती है, उसके पश्चात कयोस नाला के साथ बाहली धार और काण्डीगलू तक फिर काण्डी गलू से दियुण धार व बुंगा धार तक।

जीवानाल जलागमः– बुंगा धार से जीवा नाल तक, जीवा नाल के साथ–साथ जुबकुटन और अपगाहन थाच के बीच से नाला तक और नाला के साथ–साथ जीवा नाल और हुरला नाल के पनधार को अलग करने वाली पहाड़ी तक।

क्षेत्रफल :– 754.4 वर्ग किलोमीटर

आदेश द्वारा,

हस्ता / –,

प्रधान सचिव।

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 24 सितम्बर, 2007

संख्याः गृह–(ए)ई(3)–7 / 91.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश, पुलिस विभाग में लिपिक, वर्ग–III (अराजपत्रित) पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––(1). इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, पुलिस विभाग में लिपिक, वर्ग–III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 हैं ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निरसन और व्यावृत्तियां.––(1) अधिसूचना संख्याः गृह(ए)ई(3) 7 / 91 तारीख 14–02–1997 द्वारा अधिसूचित और तत्पश्चात् समय–समय पर यथासंशोधित हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग लिपिक, (वर्ग–III अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1997 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2(।) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्यवाही इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा,
हस्ता / –
प्रधान सचिव

———

उपाबन्ध– (क)

हिमाचल प्रदेश, गृह विभाग, राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में सहायक निदेशक (डी0एन0ए0), वर्ग–I (राजपत्रित) पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1.	**पद का नाम**	:	लिपिक
2.	**पदों की संख्या**	:	114 (एक सौ चौदह)
3.	**वर्गीकरण**	:	वर्ग–III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं।
4.	**वेतनमान**	:	3120–100–3220–110–3660–120–4260–140 –4400–150–5000–160–5160 रूपए । (आरम्भिक आरम्भ वेतनमान रूपए 3220)
5.	**चयन पद अथवा अचयन पद।**	:	अचयन।
6.	**सीधी भर्ती के लिए आयु**	:	18 से 45 वर्ष ।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा मे रत अभ्यर्थियों को लागू नही होगी ।

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों तथा / अन्य पिछड़े प्रवर्गो के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश / (आदशों) के अधीन अनुज्ञेय है ।

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर,निगमों / स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर,निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों / स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर,निगमों / स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं / किए गए थे ।

टिप्पणी (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद / (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं:

(क) अनिवार्य अर्हता :

(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / विष्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में दसवीं पास या 10+2 की परीक्षा पासकी हो याइसके समकक्ष हो ।

(ii) अंग्रेजी टंकण में तीस शब्द प्रति मिनट या हिन्दी टंकण में पच्चीस शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति रखता हो ।

वॉछनीय अर्हताएं :

हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों, और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं :

आयु : नहीं।

शैक्षिक अर्हता : जैसी कि उपरोक्त स्तम्भ संख्याः 11 में विहित है ।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो : दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता :

(i) 90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या संविदा आधार पर।
(ii) 10 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा : वर्ग **IV** कर्मचारियों में से, जिन्होंने दसवी (मैट्रिक) पास की हो या दसवीं (मैट्रिक) के एक अंग्रेजी विषय के साथ हिन्दी रत्न पास किया हो और जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा सहित 5 वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, प्रोन्नति द्वारा :

परन्तु वे लिपिक जो वर्ग –**IV** कर्मचारियों में से प्रोन्नत हुए हों या करूणामूलक आधार पर नियुक्त हुए हों जिनकी शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास हो या दसवीं (मैट्रिक) के एक अंग्रेजी एक विषय सहित हिन्दी रत्न पास किया हो, ऐसी प्रोन्नति/नियुक्ति के समय **'**वरिष्ठ सहायक**'** के पद पर तब तक प्रोन्नत नहीं किए जा सकेंगे जब तक कि सीधी भर्ती के लिए विहित अनिवार्य अर्हता अर्थात द्वितीय श्रेणी में दसवीं या 10 +2 परीक्षा उतीर्ण नहीं कर लेते :

परन्तु यह और भी कि पात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मियों (व्यकितयों) को हिमाचल प्रदेश लोक प्रषासन संस्थान(हिप्पा) के माध्यम से या तो संस्थान में या अपने–अपने जिला प्रषिक्षण केन्द्रों में कार्यालय प्रक्रिया, टंकण तथा वर्ड प्रोसेसिंग(शब्द विधायन) में दो माह का प्रषिक्षण दिया जाएगा । प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे । प्रशिक्षण केवल एक बार दिया जाएगा परन्तु जो एक बार में टैस्ट पास न कर सकें उन्हें समय–समय पर टैस्ट में बैठने का अवसर दिया जाएगा ।

प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की सयुंक्त वरिष्ठता सूची कुल सेवा काल के आधार पर उनकी काडर–बार पारस्परिक वरिष्ठता को छेड़े बिना तैयार की जाएगी ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी ।

परन्तु यह कि उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित ,जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो, के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे ।

परन्तु उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी ।

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.––अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा

यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैंन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों मे ऐसे पद पर नियुक्ति से पूर्व की गई तदर्थ सेवा यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी ।

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना : जैसी कि सरकार द्वारा समय–समय पर गठित जाए।

13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा : जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित है।

14. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अपेक्षा : किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन : सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर / पाठ्यक्रम, यथास्थिति, बोर्ड या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15– क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन।

(I) संकल्पना :

(क) इस पॉलिसी के अधीन पुलिस विभाग हिमाचल प्रदेश में लिपिक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर दो और वर्षो के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) उप पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) हिमाचल प्रदेश को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तो के अनुसार किया जाएगा।

(घ) इन नियमों के संविदा के आधार पर अधीन इस प्रकार चयनित संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सरकारी सेवा (जॉब) में नियमितिकरण या स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां : संविदा के आधार पर नियुक्त लिपिक को 4830 / – रुपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 100 / –रुपये की वार्षिक वृद्धि पद के वेतनमान की वार्षिक वृद्धि के समक्षम अनुज्ञात की जाएगी ।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी : उप पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया : संविदा पर नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्ति के लिए चयन समिति : जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

VI. करार : अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

VII. निबन्धन और शर्तें :

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 4830/–रूपये की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक आरम्भ जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक रकम में 100/– रूपए की दर से वार्षिक बृद्धि (जो वेतनमान की वार्षिक बृद्धि के समकक्ष होगी) का हकदार होगा और अन्य कोई प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है।

(ग) संविदा पर नियुक्ति, पदधारी को किसी भी दशा में सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(घ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

(ङ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यावसान) हो जाएगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(च) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(छ) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(ज) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को लागू है, वेतनमान के न्यूनतम पर यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(VIII) नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार : इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर लगाए गए अभ्यर्थी को, किसी भी दशा में विभाग में लिपिक के रूप में नियमितिकरण / स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

16. आरक्षण : सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा मे आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा : लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति : जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्ही उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

———————

उपाबन्ध– "ख"

लिपिक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य.. (नियुक्ति प्राधिकारी का पद नाम) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा / करार का प्ररूप

यह करार श्री / श्रीमति. .. .. .पुत्र / पुत्री श्री. . . . . .निवासी. . . . . ,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य .... (नियुक्ति प्राधिकारी का पद नाम) के माध्यम से (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) आज तारीख. . .. . को किया गया।

"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने लिपिक के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :—

1. यह कि प्रथम पक्षकार लिपिक के रूप में........................... से प्रारम्भ होने और........................को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनो पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् को अर्थात्. .. . . दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझीं जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम . . . . . 4830 / —रूपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त / तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्ति पदधारी को किसी भी दशा में सेवा में नियमितकरण के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

5. संविदा पर नियुक्त लिपिक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। सविंदा पर नियुक्त लिपिक को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

6. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त सहायक निदेशक (रसायन एवं विष विज्ञान का हकदार नहीं होगा।

7. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा।

8. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को लागू है, वेतनमान के न्यूनतम पर यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

10. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ–साथ इ0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नही होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षी की उपस्थिति में

1. . ...

. . ..

. . ..

(नाम व पूरा पता)

2. . ...

. . ..

. . ..

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षी की उपस्थिति में

1. . ...

. . ..

. . ..

(नाम व पूरा पता)

2. . ...

. . ..

. . ..

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)।

[Authoritative English text of this Department Notification No.Home (A)E(3)-7/91 dated 24-9 2007 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

"HOME DEPARTMENT"

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 24th September, 2007

No. Home(A)E(3)-7/91.— In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commision is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Clerk Class-III (Non-Gazetted) in the Department of Police, Himachal Pradesh as per Annexure "A" attached to this notification namely : -

1. *Short Title and Commencement:*- (1) These Rules may be called the Himachal Pradesh Police Department, Clerk Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2007.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Repeal & Savings:*- (1)The Himachal Pradesh Police Department, Clerk (Class-III, Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997 notified vide this Department Notification No.Home(A)E(3)-7/91 dated 14.02.1997 and subsequently amended from time to time are hereby repealed.

(2) Notwith-standing such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule 2(1) supra, shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order,
Sd/-,
Principal Secretary.

ANNEXURE-"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF CLERK (NON GAZETTED) CLASS-III IN THE DEPARTMENT OF POLICE H.P.

1.	*Name of Post :*	Clerk
2.	*Number of Posts :*	114 (One hundred fourteen)
3.	*Classification :*	Class-III(Non-Gazetted) Ministerial services.
4.	*Scale of Pay :*	Rs.3120-100-3220-110-3660-120-4260-140-4400-150-5000-160-5160. (With initial start of Rs. 3220/-)
5.	*Whether Selection Post : or Non-Selection Post*	Non-Selection.
6.	*Age for direct recruitment :*	Between 18 and 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / other Backward categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations / Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations / Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations / Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations / Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations / Autonomous Bodies;

Note:- (1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. *Minimum Educational and other qualifications required for direct recruits :*

ESSENTIAL QUALIFICATION :-

(i) Should have passed Matriculation with Second Division or 10+2 examination or its equivalent from a recognized Board / University.

(ii) Should possess a minimum speed of 30 words per minute in English Typewriting or 25 words per minute in Hindi Typewriting.

DESIRABLE QUALIFICATIONS : Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. *whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees :* Age : No.

EducationalQualifications: As prescribed in Col. No.11.

9. *Period of probation, if any :* Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. *Method of recruitment,whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods :*

(i) 90% by direct recruitment or on contract basis.

(ii) 10% by promotion.

11. *In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion /deputation / transfer is to be made :* By promotion from amongst the Class-IV officials who have passed Matric or Hindi (Rattan) with Matric (English as one of the subject) and also possess five years regular service or regular combined with continuous adhoc service in the grade;

Provided that those Clerks who have been promoted from amongst the Class-IV employees or appointed on compassionate grounds having educational qualification of Matric Pass or Matric (in English only) and Hindi Rattan pass at the time of such promotion/appointment shall not be promoted to the post of Senior Assistant unless they possess the essential qualification viz. matriculation with second division or 10+2 pass as prescribed for direct recruitment.

Provided further that 2 months training to the eligible Class-IV persons will be given in office procedure, typewriting and Word processing through HIPA either at the Institute or at their respective District Training Centres. Trained candidates will be eligible for promotion. Training will be held only once, but opportunity for appearing in the test will be given from time to time to those who are unable to pass the test in one go.

For the purpose of promotion a combined seniority of Class-IV employees on the basis of length of service without disturbing their cadre wise inter-se-seniority shall be prescribed.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment / promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules, provided, that, in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service / appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in the respective category /post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION :- The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person happened to be exserviceman recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilised Armed Forces Personnel, (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex- Servicemen (Reservation of

Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R & P Rules;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. *if a Departmental Promotion Committee exists, What is its composition :* As may be constituted by the Government from time to time.

13. *Circumstances under which H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment :* As required under the Law.

14. *Essential requirement for direct recruitment :* A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. *Selection for appointment to post by direct recruitment :* Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if H.P. SUBORDINATE SERVICES SELECTION BOARD or other recruiting authority as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus, etc. of which will be determined by the Board/other recruiting authority, as the case may be.

15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.

(I) CONCEPT :

(a) Under this policy, the Clerk in Department of Police will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable for two more years on year to year basis.

(b) The Dy. Inspector General of Police(Admn.) HP after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(d) Contract appointee so selected under these Rules will not have any right to claim for regularisation or permanent absorption in the Government job.

(e) The age and qualification of the Contract appointment will be as per the provisions contained in Col. 6 and 7 of the Recruitment and Promotion Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS : The Clerk appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 4830/- P.M. (which shall be equal to initial of the pay scale + Dearness pay). An amount of Rs. 100/- (equal to annual increase in the pay scale of the

post) as annual increase in contractual emoluments for the second and third years respectively will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY : The Dy. Inspector General of Police (Admn.) HP will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS : Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P.SSSB.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS : As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. HP SSSB.

(VI) AGREEMENT : After selection of a candidate, he/she shall have to sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS : (a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 4830/- per month (which shall be equal to initial of the pay scale + dearness pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount i.e. Rs. 100/- (equal to annual increase in the pay scale) per annum for second and third years respectively and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularization in service at any stage.

(d) Contract appointee will be entitled for one day causal leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

(e) Unauthorised absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(f) Transfer of a contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(g) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Woman candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorised Medical Officer Practitioner. (h) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of the pay scale.

(VIII)RIGHT TO CLAIM REGULAR APPOINTMENT : The candidate engaged on contract basis under these rules shall have no right to claim for regularization/permanent absorption as Clerk in the department at any stage.

16. *Reservation :* The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other Backward Classes / other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. *Departmental Examination :* Not applicable.

18. *Powers to Relax :* Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, if may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C., relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

ANNEXURE-B

Form of contract/ agreement to be executed between the Clerk and the Government of Himachal Pradesh through_____(Designation of the Appointing Authority).

This agreement is made on this_____ day of_____in the year_____Between_____Sh./Smt._____S/o/D/oShri_____ _____R/o_____Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through_____(Designation of the Appointing Authority) Himachal Pradesh (here-in after the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Clerk on contract basis on the following terms & conditions:

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Clerk for a period of 1 year commencing on day of_____and ending on the day of _____It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on _____ and information notice shall not be necessary.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 4830/-per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis.The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/ posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. The contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularization of service at any stage.

5. Contractual Clerk will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Clerk. He/She will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

6. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Clerk will not be entitle for contractual amount for the period of absence from duty.

7. Transfer of a official appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.

8. Selected candidate will have to submit a certificate of his /her fitness from a Government /Registered Medical Practitioner. In case of woman candidate pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

9. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his /her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of the pay scale.

10. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESECNCE OF WITNESS:

1._____
_____
_____
(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2._____
_____
_____
(Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____
_____
_____
(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2. _____
_____
_____
(Name and Full Address)

LABOUR AND EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 24th h September, 2007

No. Shram (A) 4- 1/ 2006 .—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute a State Committee on Employment to advise the Department of Labour and Employment on problems relating to employment, creation of employment opportunities and the working of the National Employment Service in Himachal Pradesh with immediate effect in the public interest. The constitution of the said Committee is as under:-—

1.	The Hon' ble Labour & Employment Minister, H.P	*Chairman*
2.	*Two Members of Parliament i.e.*	
	(i) Prof. Chander Kumar, Village Dhan, P.O. Matlahar, Tehsil Jawali, District Kangra.	*Member*
	(ii) Smt. Pratibha Singh, Holly Lodge, Shimla- 171 001.	*Member*
3.	*Three Members of Legislative Assembly i.e.*	
	(i) Sh. Raghu Raj, MLA, Kasauli, District Solan, H.P.	*Member*
	(ii) Sh. Harshvardhan Chauhan, MLA, Shillai, District Sirmour, H.P.	-do-
	(iii) Sh. Mukesh Agnihotri, MLA, Santokhgarh, District Una, H.P.	-do-
4.	Pr. Secretary (Industries) to the Government of Himachal Pradesh.	*Member*
5.	Pr. Secretary (PWD) to the Government of Himachal Pradesh.	*Member*
6.	Pr. Secretary (IPH) to the Government of Himachal Pradesh.	*Member*
7.	Pr. Secretary (Education) to the Government of Himachal Pradesh.	*Member*
8.	Pr. Secretary (Technical Education) to the Government of Himachal Pradesh.	*Member*
9.	Pr. Secretary (Finance) to the Government of Himachal Pradesh.	*Member*
10.	Secretary (MPP & Power) to the Government of Himachal Pradesh.	*Member*
11.	Secretary (Labour & Employment)) to the Government of Himachal Pradesh.	*Member*
12.	Secretary (Planning) to the Government of Himachal Pradesh.	*Member*
13.	Deputy Commissioner, Kangra/ Sirmour/ Una and Solan.	*Member*
14.	Director, Industries, Himachal Pradesh.	*Member*
15.	*Two Representatives of Employers, i.e.*	
	(i) Shri Rajinder Guleria, President, HP Chapter of CII and BBNIA	*Member*
	(ii) Shri H.B. Patnayak, Executive Director, Dharmshala Hydro Power Limited, Khanyara, District Kangra- 176 215.	*Member*
16.	*Two Representatives of Workers, i.e.*	
	(i) Bawa Amarjeet Singh, President, INTUC, HP, R/o Sector- 2, NH- 22, Parwanoo, Solan, H.P.	*Member*
	(ii) Shri Surinder Thakur, President BMS, Om Bhawan, Himland, Shimla- 1.	*Member*
17.	Economic Advisor to the Government of Himachal Pradesh.	*Member*
18.	Labour Commissioner -cum- Director of Employment, Himachal Pradesh.	*Member-Secretary.*

THE TERMS AND REFERENCE OF THE COMMITTEE SHALL BE AS UNDER:—

(a) To review employment information and to assess employment and un- employment trends, urban and rural and suggest measures for expanding employment opportunities;

(b) To advise on the development of the National Employment Service in H.P.

(c) To advise on development of personnel retrenched on the completion of development project.

(d) To consider special programmes relating to education unemployed.

(e) To advise on the development of VOCATIONAL GUIDANCE and Employment Counseling at Employment Exchanges; and

(f) To assess the requirements of trained craftsman and advise the State Council for Training in Vocational Trades.

TERMS OF OFFICE.

The terms of office of non- official members of the Committee shall be three years.

SUB COMMITTEES: —

The above committee is empowered to setup sub- committees as required, for assisting it in the discharge of its functions.

EXPENDITURE:—

The expenditure connected with the meeting of the Committee by way of Traveling Allowance and Daily Allowance etc., for the members shall be met by the Government of H.P., Officials, Members of the committee will draw traveling and other allowances for attending the meeting and for performing work connected with the committee from their respective Departments, Non- official members of the Committee will be paid Traveling Allowance and Daily Allowance in accordance with the rules issued by the Government of Himachal Pradesh as amended from time to time.

By order,
Sd/-
Secretary

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

अधिसूचना

शिमला–2 18 सितम्बर, 2007

संख्याः मुद्रण (बी) 2–30 / 99.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से समसंख्यक अधिसूचना तारीख 31.–1–2003, द्वारा अधिसूचित और राजपत्र हिमाचल प्रदेश में तारीख 1–3–2003, को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग अक्षर ढालक (मोनो कास्टर) वर्ग–III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं के भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**.––(।) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग अक्षर ढालक (मोनो कास्टर) वर्ग–।।। (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं भर्ती और प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2007 है ।

(।।) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे ।

2. उपाबन्ध अ का संशोधन.–– हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, अक्षर ढालक (मोनो कास्टर), वर्ग–।।। (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2002 के उपाबन्ध 'क' में :–

(क) सतम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपाबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :–

''(i) पच्चीस प्रतिषत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर

(ii) पच्हतर प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर'' ।

(ख) स्तम्भ संख्या 15 के पश्चात निम्नलिखित सतम्भ संख्या 15–क अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थातः–

15–क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.–

(I) संकल्पना : (क) इस पॉलसी के अधीन मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश में अक्षर ढालक; मोनो कास्टर संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष, के लिए लगाया जायेगा । जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर दो और वर्षों के लिए बढाया जा सकेगा ।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना : नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात अध्यपेक्षा को सम्बद्व भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोंड हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन सर्वथा इन नियमों में विहित पात्रताशर्तों के अनुसार किया जायेगा।

(घ) इन नियमों के अधीन इस प्रकार चयनित संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को, सरकारी सेवा (जॉब) में नियमितिकरण या स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां : संविदा के आधार पर नियुक्त अक्षर ढालक (मोनो कास्टर) को 4,680 / – रूपए की दर से समेकित संविदात्मक रकम (जो प्रारम्भिक वेतनमान जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की
जाएगी।यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौतरी की जाती है तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक रकम 100 / –रूपए में वार्षिक वृदि के रूप में अनुज्ञात किए जाएंगे ।

(III) (नियुक्ति / अनुशास प्राधिकार) : नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) चयन प्रकिया : संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर / पाठ्क्रम समबद्व भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।

(V) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के चयन के लिए समिति : जैसी समबद्व भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, द्वारा समय– समय पर गठित की जाए ।

(VI) करार : अभ्यर्थी को चयन के पश्चात इन नियमो से संलग्न उपाबन्ध 'ख' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें : (क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 4680 / – रूपए की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो प्रारम्भिक वेतनमान के जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जायेगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक रकम में 100 / –रूपए की वार्षिक वृद्वि की दर से वृद्वि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे कि वरिष्ठ / चयन वेतनमान आदि नही दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यकित की सेवा पूर्णतयः अस्थाई आधार पर होगी । नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है ।

(ग) संविदात्मक नियुक्ति, पदधारी को किसी भी दशा में सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(ध) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा होगी । केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा ।

(ङ) नियन्त्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यावसान) हो जाएगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (डयूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होंगा।

(च) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानातरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नही किया जाएगा ।

(छ) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक समय की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(ज) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तवयों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित कर्मचारियों वेतनमान के न्यूनतम पर लागू हैं, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

(VIII) नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार : इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए अभ्यर्थी को किसी भी दशा में विभाग में अक्षर ढालक (मोनो कास्टर), के रूप में नियमितिकरण / स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव ।

उपाबन्ध ''ख''

अक्षर ढालक (मोनो कास्टर), और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित किए जाने वाली संविदा / करार का प्ररूप

यह करार श्री / श्रीमति. .. .. पुत्र / पुत्री श्री... . .. .
. . .. निवासी. .. ..,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् **'प्रथम पक्षकार'** कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल,के मध्य नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, के (जिसे इसमें इसके पश्चात् **'द्वितीय पक्षकार'** कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख. .. . . को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने–**अक्षर ढालक (मोनो कास्टर)**, के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:–

1. यह कि **प्रथम पक्षकार अक्षर ढालक (मोनो कास्टर),** के रूप में.. .... से प्रारम्भ होने और.. . .. .को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनो पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् को अर्थात्..... . .. . दिन को स्वयंमेव ही समाप्त (पर्यवसित) समझीं जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. **प्रथम पक्षकार** की संविदात्मक रकम 4680 / –रुपये (जो कि वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास होगी।

3. **प्रथम पक्षकार** की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर हरेगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्व नियुक्त / तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदात्मक नियुक्ति, सेवा में नियमितिकरण के लिए पदधारी को किसी भी दशा में कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

5. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

6. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (डयूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नही होगा।

7. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए किसी भी दशा में स्थानान्तरण अनुज्ञात नहीं होगा।

8. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यथियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।

9. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतक पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

10. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ–साथ इ0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 भी लागू नही होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखत तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षी की उपस्थिति में:–

1.. . .. .
. . ..
. . ..
(नाम व पूरा पता)

2.. . .. .
. . ..
. . ..
(नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षी की उपस्थिति में:–

1.. . .. .
. . ..
. . ..
(नाम व पूरा पता)

2.. . .. .
. . ..
. . ..
(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English Text of this department Notification No. Mudran (B) 2-30/99 dated 18-9-2007, As required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PRINTING & STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2 the 18th September, 2007

No. Mudran (B) 2- 30/ 99.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department**, Mono Caster, Class-III (Non-Gazetted) Non Ministerial Services** Recruitment and Promotion Rules 2002, notified vide Notification of even number dated 31-1-2003 and published in H.P. Rajpatra on 1-3-2003 namely :—

1. *Short Title and Commencement* .—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, **Mono Caster, Class-III (Non Gazetted)**, Non Ministerial Services Recruitment and Promotion (2nd amendment) Rules, 2007.

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra Himachal Pradesh.

2. *Amendment of Annexure "A"*.—In Annexure "A" to the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Mono Caster, Class-III (Non-Gazetted) Non Ministerial Services, Recruitment and Promotion Rules 2002,

(a) For the existing provisions against the Col.No.10 the following shall be substituted, namely;

(i) 25% by promotion failing which by direct recruitment or on contract basis.
(ii) 75% by direct recruitment or on contract basis."

(b) After the Col.No.15 the following Col.No.15- A shall be inserted namely :—

15-A. (Selection for appointment to the post by contract appointment) :

(I) CONCEPT **:** (a) Under this policy, the Mono Caster in the Printing & Stationery Department will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable for two more years, on year to year basis.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB **:** The Controller, Printing & Stationery Department , after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. HP Subordinate Service Selection Board, Hamirpur.

(c) The selection will be made strictly in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(d) Contract appointee so selected under these Rules will not have any right to claim regularization or permanent absorption in the Government job.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS **:** The **Mono Caster** appointed on contract basis will be paid consolidated fixed Contractual amount @ Rs. 4680/- per month (which shall be equal to the initial of the pay scale plus Dearness Pay.) An amount of Rs. 100/- P.A. as increase in contractual amount for second and third year will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING /DISCIPLINARY AUTHORITY **:** The Controller, Printing and Stationery H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS : Selection for appointment to the post in case of contract appointment will be made on the basis of Viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. the H.P.Subordinate Service Selection Board Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTEE **:** As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P.Subordinate Service Selection Board from time to time.

(VI) (AGREEMEMT) **:** After selection of a candidate, he / She has to sign an agreement as per annexure -B appended to these Rules.

]

(VII) TERMS AND CONDITIONS **:** (a) The Contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 4680/- per month (which shall be equal to initial of pay scale +Dearness Pay). The Contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs.100/- per annum for second and third years respectively, and
no other allied benefit such as senior /selection scales etc. shall be given .

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contractual appointment shall not confer any right to the incumbent for the regularization in service at any stage.

(d) Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind will be admissible to the contractual appointee. He/She will not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per rules.

(e) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling officer shall automatically, lead to the termination of the Contract . The Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(f) Transfer of a contractual appointee shall not be permitted from one place to another in any case.

(g) Selected candidate will have to submit a Certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practioner Women candidate pregnant beyond 12 weeks will be temporarily unfit till the Confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an
authorized Medical Officer/ Practioner.

(h) Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of pay scale.

(VIII). RIGHT TO CLAIM REGULAR APPOINTMENT **:** The candidate engaged on contract basis under these Rules shall have no right to claim for regularization/ permanent absorption as Mono Caster in the Department at any stage.

By order,
P. C. KAPOOR
Pr. Secretary.

Annexure- 'B'

Form of contract/ agreement to be executed between the Mono Caster & the Government of Himachal Pradesh through Controller, Printing and Stationery, H. P.

This agreement is made on this……..day of…….. in the Year……..……..Between……Sh/ Smt.....…….S/o/D/o Shri…….....…R/o……Contrat appointee (herein after called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through- Controller, Printing and Stationery Department, Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY, and the FIRST PARTY has agreed to serve as a **Mono Caster (Name of the post)** on contract basis on the following terms and conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a **Mono Caster (Name of the post)** for a period of one year commencing on day of.....……..and ending on the day of ……..…… It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on.....And information notice shall not be necessary.

2. The Contractual amount of the FIRST PARTY will be **Rs. 4680**/- per month. (which shall be equal to Initial of pay scale + Dearness pay.).

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good .Or if regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. The contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularization in service at any stage.

5. Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the contractual appointee. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

6. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual appointee will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

7. Transfer of official appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case. 8. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practioner. In case of women candidates, pregnancy beyond twelve weeks will render her temporary unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practioner.

9. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part official at the minimum of pay scale.

10. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s)

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1……..
……
……
(Name and full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2…….
…….
……

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1……..
……
……
(Name and full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2…….
…….
……

उच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 27 सितम्बर, 2007

सं0.ई0डी0एन0–ए–ज(8)11 / 2005.–यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः स्वामी विवेकानन्द राजकीय महाविद्यालय घुमारवीं, जिला बिलासपुर के खेल मैदान के लिये भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है । अतएव एतदद्व ारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम,1894 की धारा. 4 के उपबन्धों के अन्तगर्त जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल इस समय इस उपकम्र में कार्यरत सभी अधिकारियों उसके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सर्हश प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितमद्व व्यक्ति, जिसे परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो, तो इस अधिसूचना प्रकाशित होने के तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप से भू–अर्जन समाहर्ता (उप मण्डलाधिकारी (ना) घमु ारवी ं क` समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

विस्तृत विवरणी

तहसील	जिला	गांव	खसरा न0	बिघा	विस्वा
घुमारवीं	बिलासपुर	कलरी / 394	107 / 104	6–01	
			18 / 1	1–06	
			19 / 1	1–06	
			19 / 2	1–12	
			15	1–09	
			13 / 3	10–04	
			16	0–16	
			103 / 1 2–00		
			14	3–10	
			कुल	30–04	
		भदरागेगे / 383	272	0–04	
			270	5–04	
			271	4–10	
			263	2–14	
			264	0–10	
			266	0–04	
			कुल	21–12	

आदेश द्वारा,
हस्ता / –
प्रधान सचिव।

उच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 20 सितम्बर, 2007

संख्याः ई.डी.एन.ए.(ख) 3–5 / 99.–हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग में प्राध्यापक महाविद्यालय संवर्ग, वर्ग–। (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–"क" के अनुसार भर्ती आरै प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उच्च्तर शिक्षा विभाग प्राध्यापक महाविद्यालय संवर्ग), वर्ग–। (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **निरसन औरव्यावृत्तियां.–**(1) अधिसूचना संख्याः ई.डी.एन.–ए. (ख) 2–2 / 2003 तारीख 23–08–2004 द्वारा अधिसूचित और समय–समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग, प्राध्यापक महाविद्यालय संवर्ग, वर्ग–। (राजपत्रित) नियमित / संविदा भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2004 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप–नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ता / –
प्रधान सचिव।

———

उपाबन्ध–"क"

हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग प्राध्यापक (महाविद्यालय संवर्ग), वर्ग–। (राजपत्रित) पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम	प्राध्यापक (महाविद्यालय संवर्ग)
2. पदों की संख्याः	2582 (दो हजार पांच सौ बयासी)।
3. वर्गीकरण	वर्ग –। (राजपत्रित)।
4. वेतनमान	नियमित प्राध्यापकों के लिए 8000–275–13500 रूपए।
5. चयन पद अथवा अचयन पद	लागू नहीं ।
6. सीधी भर्ती के लिए आयुः	45 वर्ष और इससे कम।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या सविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट का पात्र नही होगाः

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश(आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगम तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों / स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों / स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों / स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् निगमों / स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं / किए गए थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएः

(क) अनिवार्य अर्हताएः (i) कम से कम पचपन प्रतिशत अंकों के साथ अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड या पचपन प्रतिशत के समतुल्य, जहां भी भारत सकरार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भारतीय विश्वविद्यालय या किसी विदेशी विश्वविद्यालय से सुसंगत विषय में स्तनाकोत्तर की उपाधि स्तर में श्रेणीकरण प्रणाली का अनुसरण किया है।

(ii) ललित कला में प्राध्यापकों, अर्थात वाणिज्यिक कला, रेखाचित्र और रंग चित्र एवं मूर्तिकला के लिए जो भी ललितकला में स्नातकोत्तर उपाधि में कम से कम पचपन प्रतिशत अंकों सहित अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड रखते हों, या पचपन प्रतिशत के समतुल्य, जहां श्रेणीकरण का अनुसरण किया जाता है।

(iii) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के प्रवर्गों को स्नातकोत्तर उपाधि में पांच प्रतिशत की छूट पचपन प्रतिशत से पचास प्रतिशत अंकों तक उपबंधित है।

(iv) उन पी0एच0डी0 उपाधि धारकों को, जिन्होंने अपनी स्नातकोत्तर उपाधि सितम्बर,1991 से पूर्व उत्तीर्ण की है, पांच प्रतिशत अंकों की छूट पचपन प्रतिशत से पचास प्रतिशत अंकों तक उपबन्धित है।

(v) जहां कहीं श्रेणीकरण प्रणाली का अनुसरण किया जाता है, शब्द ग्रेड ओ0,ए0,बी0,सी0,डी0,ई0 और एफ0 के सात बिन्दु स्केल में "बी0" को पचपन प्रतिशत अंकों के समकक्ष माना जाएगा(सात बिन्दु स्केल सलंग्न फुटनोट में दर्शाया गया है)।

(vi) अभ्यर्थियों ने उपरोक्त अर्हताओं को पूर्ण करने के अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सी0एस0आई0आर0 या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित समरूप टेस्ट द्वारा प्राध्यापकों के लिए पात्रता टेस्ट (एन.इ.टी.) पास किया हो।

(vii) स्नातकोत्तर की उपाधि रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए नेट (एन.इ.टी.) अनिवार्य अपेक्षा रहेगी। तथापि सम्बद्ध विषय में पी0एच0डी0 की उपाधि रखने वाले अभ्यर्थियों को पी0जी0 स्तर तथा य0 जी0 स्तर के अध्यापन के लिए नेट (एन.इ.टी.) से छूट है। सम्बद्ध विषय में एम0 फिल की उपाधि रखने वाले अभ्यर्थियों को य0 जी0 स्तर के ही अध्यापन के लिए नेट (एन.इ.टी.) से छूट है।

(ख) **वॉछनीय अर्हताएं:** हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रीतियों, और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं:

आयु : लागू नहीं ।
शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं ।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.—दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.—शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.— लागू नहीं।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.— लागू नहीं ।

13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाः किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा । यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर / पाठ्यक्रम, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15—क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन।

(I) संकल्पनाः (क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल उच्चतर शिक्षा विभाग में प्राध्यापक (महाविद्यालय संवर्ग) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर दो और वर्षा ं के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) प्रधान सचिव / सचिव (उच्चतर शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने हेतु सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(घ) इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर इस प्रकार चयनित व्यक्ति को सरकारी सेवा (जॉब) में नियमितिकरण या स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नही होगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां: संविदा के आधार पर नियुक्त प्राध्यापक (महाविद्यालय संवर्ग) को 12,000/– रूपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा महंगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। प्रावकाश की अवधी के लिए कोई रकम सदंत्त नहीं की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 275/– रूपए वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात किए जाएंगे।

(III) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी: प्रधान सचिव/सचिव (उच्चतर शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रकिया: संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के अधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग,शिमला द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्त व्यक्तियों के लिए चयन समिति: जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

(VI) **करार:** अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से सलंग्न उपाबन्ध–ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें: (क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 12,000/– रूपए की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा महंगाई वेतन के बराबर होगी)प्रतिमास सदंत्त की जाएगी।

प्रावकाश की अवधि के लिए कोई रकम सदंत्त नहीं की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक रकम में 275/–रूपए की दर से वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी, यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है।

(ग) संविदात्मक नियुक्ति, पदधारी को किसी भी दशा में, सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(घ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

(ङ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यावसान) हो जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(च) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(छ) चयनित अभ्यर्थियों को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा से गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। महिला

अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृतचिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(ज) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(VIII) नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकारः इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर लगाए गए अभ्यर्थी को, किसी भी दशा में विभाग में प्राध्यापक (महाविद्यालय संवर्ग) के रूप में नियमितिकरण / स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

16. **आरक्षणः** सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय– समय पर अनुसूचित जातिया / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

17. **विभागीय परीक्षा.**–सेवा में प्रत्येक सदस्य को हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

18. **शिथिल करने की शक्तिः** जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

———

उपाबन्ध–ख

.

.....(पद का नाम) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य .....(नियुक्ति प्राधिकारी का नाम) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा / करार का प्ररूप

यह करार श्री / श्रीमति..... पुत्र / पुत्री श्री..... निवासी..... ....., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य ..... (नियुक्ति प्राधिकारी का नाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..... को किया गया।

"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त "प्रथम पक्षकार" को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने .....(पद का नाम) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:–

1. यह कि प्रथम पक्षकार .....(पद का नाम) के रूप में ..... से प्रारम्भ होने और ..... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात् ..... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 12,000 / –रूपए प्रतिमास होगी। प्रावकाश की अवधी के लिए कोई रकम सदंत्त नहीं की जाएगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त / तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी ।

4. संविदात्मक नियुक्ति किसी भी दशा में नियमितिकरण के लिए पदधारी को कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

5. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नही होगा / होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

6. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम लेने का हकदार नहीं होगा।

7. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा।

8. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी वेतनमान के न्यूनतम पर नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।

10. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ–साथ इ0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षी की उपस्थिति में

1.....
.....
(नाम व पूरा पता)

2.....
.....
(नाम व पूरा पता)

प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर

साक्षी की उपस्थिति में

1.....
.....
(नाम व पूरा पता)

2.....
.....
(नाम व पूरा पता)

द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर

[Authoritative English Text of Notification No:Edu-A(Kha)3-5/99 dated 20-09-2007, as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 20th September, 2007

No. EDN-A-(Kha)3-5/99.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules, for the post of Lecturer College Cadre Class-I (Gazetted) in the Higher Education Department, H.P. as per Annexure"A" attached to this notification; namely.—

1. Short title and Commencement: (1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Higher Education Department, Lecturer (College Cadre) Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2007.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal & Savings: (1) The Himachal Pradesh Education Department, Lecturer (College Cadre) Class-I (Gazetted), Regular/Contract Recruitment and Promotion Rules,2004 notified vide notification No.EDNA(Kha)2-2/2003, dated 23-08-2004 and as amended from time to time are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the relevant rules, so repealed under sub-rule(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By Order,
Sd/—
Pr.Secretary.

Annexure - A

Recruitment and Promotion Rules for the post of Lecturers (College Cadre) Class-I, Gazetted in the Department of Higher Education, Himachal Pradesh.

1. *Name of the Post*	**:**	Lecturer (College Cadre)
2. *Number of Posts*	**:**	2582 (Two thousand five hundred eighty two only)
3. *Classification*	**:**	Class-I (Gazetted).
4. *Scale of Pay*	**:**	for regular Lecturers Rs. 8000-275-13500
5. *Whether Selection Post or non- Selection*	:	Not applicable
6. *Age for direct recruitment*	**:**	45 years and below.

Provided that the upper age limit for direct recruit will not be applicable to the candidates, already in service of the Govt. including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of this adhoc or contract appointment.

Provided further that upper age limit is relaxable for SC/Schedule Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special orders of the H.P Government.

Provided further the employees of all the Public Sector, Corporation and Autonomous bodies who were Government servants before absorption in Public Sector/Corporation/ Autonomous bodies at the time of initial constitutions of such Corporations / Autonomous bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations / Autonomous bodies and who were / are finally absorbed in the service of such Corporation / Autonomous bodies after initial constitution of the Public Sector / Corporation / Autonomous bodies.

Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post (s) is/are advertised for inviting applications or notified to the or Employment Exchanges, as the case may be.

Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the HP Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. *Minimum Educational & Other qualification(s) required for direct recruitment.—*

(a) Essential Qualifications: (i) A good academic record with atleast 55% marks or an equivalent of 55%, wherever the grading system is followed in Masters Degree level in the relevant subject from a Indian University or an equivalent degree from Foreign University recognized by the Government of India.

(ii) For the Lecturer in Fine Arts also i.e. Commercial Arts, Drawing & Painting and Sculpture, Master Degree in Fine Arts having good academic record with 55% marks or equivalent of 55% wherever grading system is followed.

(iii) A relaxation of 5% is provided from 55% to 50% marks, at the Masters Degree for the SC/ST categories.

(iv) A relaxation of 5% is provided from 55% to 50% of the marks to the Ph.D. Degree holders who have passed their masters degree priod to the September, 1991.

(v) "B" in the 7 point scale with letter grades O, A, B, C, D, E & F shall be regarded as equivalent of 55% wherever the grading system is followed (7 point scale is displayed in the Foot Note)

(vi) Candidate besides fulfilling the above qualifications should have cleared the eligibility test (NET) for Lecturers conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited the State Public Service Commission.

(vii) NET shall remain the compulsory requirement for appointment as Lecturer for those with postgraduate degree. However, the candidates having PH.D Degree in the concerned subject are exempted from NET for PG level and UG level teaching. The candidates having M.Phil degree in the concerned subject are exempted from NET for UG level teaching only.

(**b) Desirable Qualification:** Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. *Whether age & educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotion.*— **Age** : NA

Educational Qualification: NA

9. *Period of Probation, if any:* Two years, subject to such further extension for a period not exceeding one year, as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. *Method of recruitment:Whether by direct or by contractbasis and promotion / deputation / transfer and the percentage of posts to be filled in the various method***:** 100% by direct recruitment or on contract basis.

11. *In case of recruitment by promotion, deputation, grade from which promotion / deputation / transfer is to be made:* Not applicable

12. *If a departmental promotion committee exists, what is its composition?*
Not applicable

13. *Circumstances under which the HPPSC is to be consulted in making recruitment:* As required under the law.

14. *Essential requirement for direct recruitment***:** A candidate for appointment to any service of post must be citizen of India".

15. *Selection for appointment to post by direct recruitment:* Selection for appointment to the post in case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test, if Himachal Pradesh Public Service commission or other recruiting agency, as the case may be, so consider necessary or expedient, by a written test or practical test, the standard / syllabus etc. of which will be determined by the Commission / other recruiting agency as the case may be.

15-A Selection for appointment to the post by Contract appointment

(I) CONCEPT**.—** (a) Under this policy the Lecturers (College Cadre) in the Department of Higher Education, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable for two more years on year to year basis.

(b) The Principal Secretary/Secretary (Hr.Education) to the Government of Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(d) Contract appointee so selected under these Rules will not have any right to claim for regularization or permanent absorption in the Government job.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS: The Lecturers (College Cadre) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 12,000 P.M. (Rs. Twelve thousand only) (which shall be equal to initial of the pay scale + (Dearness pay).

No amount will be paid for vacation period. An amount of Rs. 275/- as annual increase in contractual emoluments for the second and third years respectively will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) *APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:* The Principal Secretary/Secretary (Hr.Education) to the Government of Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.

(IV) *SELECTION PROCESS :* Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission, Shimla.

(V) *COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL PPOINTMENTS:* As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P. Public Service Commission, Shimla from time to time.

(VI) *AGREEMENT:* After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) *TERMS AND CONDITIONS*: (a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 12000/- per month (which shall be equal to initial of the pay scale + dearness pay). No amount will be paid for vacation period. The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 275/- per annum for second and third years respectively and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularization in service at any stage.

(d) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per rules.

(e) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination from the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(f) Transfer of a contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(g) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Woman candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(h) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of pay scale.

(VIII) *RIGHT TO CLAIM REGULAR APPOINTMENT:* The candidate engaged on contract basis under these Rules shall have no right to claim for regularization/ permanent absorption as Lecturer (College cadre) in the Department at any stage.

16. *Reservation:* The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes /ST / Other Backward classes other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. *Departmental Examination:* Every member of the service shall pass a departmental examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time.

18. *Power to relax.—* Where the state Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reason to be recorded in writing and in consultation with the HPPSC relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or post.

Form of contract/agreement to be executed between the _____ (Name of the post) and the Government of Himachal Pradesh through _____ (Designation of the Appointing Authority).

This agreement is made on this _____day of _____in the year_____ Between Sh. / Smt. _____S/o/D/o Shri_____ R/o _____ Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND the Governor of Himachal Pradesh through _____ (Designation of the Appointing Authority) Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Lecturer (College Cadre) on contract basis on the following terms & conditions.—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Lecturer (College Cadre) for a period of 1 year commencing on day of _____and ending on the day of _____ It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on _____ And information notice shall not be necessary.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.12,000/- per month. No amount will be paid for vacation period.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed / posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. The contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularization of service at any stage.

5. Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any kind is admissible to the contractual appointee. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

6. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual appointee will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

7. Transfer of an official appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.

8. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

9. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

10. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____
_____
_____
(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. _____
_____
_____
(Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____
_____
_____
(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2. _____
_____
_____
(Name and Full Address)

Explanation of Seven point Scale

(Applicable to Regular Lecturers only)

Grade	Grade point	Percentage equivalent
"O" Outstanding	5.50.6.00	75-100
"A" Very Good	4.50.5.49	65-74
"B" Good	3.50.4.49	55-64
"C" Average	2.50.3.49	45-54
"D" Below Average	1.50.2.49	35-44
"E" Poor	0.50.1.49	25-34
"F" Fail	0.0.40	0-24

2. Four and two advance increments will be admissible to those who hold Ph.D. and M.Phil degrees respectively, at the time of recruitment as Lecturers.

3. One increment will be admissible to those teachers with M.Phil who acquire Ph.D. within two years of recruitment.

4. A Lecturer with Ph.D. will be eligible for two advance increments when he/she moves into selection grade.

5. A teacher will be eligible for two advance increments as and when he/she acquires a Ph.D. degree in his/her service career.

Career Advancement

6. Minimum length of service for eligibility to move into the grade of Lecturer (Sr.Scale) would be four years for those with Ph.D., five years for those with M.Phil and six years for others and for eligibility to move into selection grade, the minimum length of service as Lecturer (Sr.Scale) shall be uniformly five years. Career advancement will be through a procedure of selection.

7. Besides, a lecturer will be eligible for placement in Sr.Scale through a procedure of selection, if he/she has participated in Orientation Course and one Refresher Course of approved duration, or engaged in other appropriate continuing education programmes of comparable quality as may be specified or approved by the UGC. Those with Ph.D. degree would be exempted from one refresher course. Wherever the requirement of orientation/refresher course has remained incomplete, the promotions would not be held up but these must be completed by the year 2000.

8. Consistently satisfactory performance/appraisal reports.

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 18 सितम्बर, 2007

संख्याः टी0सी0पी0–ए(3)–4 / 97.–हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, तारीख 27–10–2003 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, अनुसंधान अधिकारी, वर्ग–II, (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, अनुसंधान अधिकारी, वर्ग– II, (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2007 हैं ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगें ।

2. **उपाबंध "क" का संशोधन.**–हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, अनुसंधान अधिकारी, वर्ग–II, (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2003 के उपाबंध "क" में :–

(क) स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:– "शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर ";

(ख) स्तम्भ संख्या 15 के पश्चात्,स्तम्भ संख्या 15–क निम्नलिखित रुप में अन्तः स्थापित किया जाएगाः–

15–क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन ।

1. **संकल्पना.– (क)** इस पॉलसी के अधीन, नगर एवं ग्राम योजना विभाग में क्रमशः अनुसंधान अधिकारी संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए लगाया जाएगा, जिसे दो और वर्ष के लिए बढाया जा सकेगा ।

(ख) निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग , रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, अध्यपेक्षा को सम्बद्व भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में, रिक्त पदो के ब्यौरे विज्ञापित करने के लिए रखेगा और इन नियमों में विहित अन्य पात्रता शर्तें पूर्ण करने और विहित अर्हताएं रखने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमन्त्रित करेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(घ) इन नियमों के अधीन इस प्रकार चयनित संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को, सरकारी नौकरी (जॉब) में नियमितिकरण या स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

II **संविदात्मक उपलब्धियां.**–संविदा के आधार पर नियुक्त अनुसंधान अधिकारी को 9600 / – रुपए की दर से संविदात्मक रकम (जो प्रारम्भिक वेतनमान जमा महंगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जायेगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौतरी की जाती है तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 200 / – रुपए की रकम वढोतरी अनुज्ञात की जाएगी।

III नियुक्ति / अनुशासन प्राधिकारी : प्रशासनिक सचिव, (नगर एवं ग्राम योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार ,नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

IV चयन प्रक्रिया : संविदा के आधार पर नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर / पाठयक्रम इत्यादि सम्बद्व भर्ती प्राधिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

V संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति : जैसी सम्बद्व भर्ती प्राधिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय–समय पर गठित की जाए ।

VI करार : अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात इन नियमो से संलग्न उपाबंध–ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

VII निबन्धन और शर्तें :(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 9600 / – रुपए की दर पर नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के आरम्भिक जमा महंगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक रकम में 200 / – रुपए की दर से वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और कोई अन्य सहबद्ध प्रसुविधाओं जैसे कि वरिष्ठ / चयन वेतनमान आदि नहीं दिए जाएगें ।

(ख) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है।

(ग) संविदात्मक नियुक्ति पदधारी व्यक्ति को किसी भी दशा में सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेंगी।

(घ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा / होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

(डं0) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही सं वदा की समाप्ति (पर्यावसान) हो जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

(च) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे सीान के लिए स्थानांतरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(छ) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः निरीक्षण किया जाएगा ।

(ज) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित पदधारी को लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी ।

VIII नियमित नियुक्ति का दावा करने का अधिकार : इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर लगाए गए अभ्यर्थी को किसी भी दशा में विभाग में अनुसंधान अधिकारी के रुप में नियमितिकरण/ स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

आदेश द्वारा,
हस्ता/–
सचिव।

———

उपाबन्ध– "ख"

अनुसंधान अधिकारी तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, के माध्यम से निष्पादित की जाने वाले संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति..... पुत्र/पुत्री श्री..... निवासी.....,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् **'प्रथम पक्षकार'** कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश, के माध्यम से (जिसे इसमें इसके पश्चात् **'द्वितीय पक्षकार'** कहा गया है) के मध्य आज तारीख..... ..... को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त **प्रथम पक्षकार** को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने अनुसंधानअधिकारी के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन आरै शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः–

1. यह कि **प्रथम पक्षकार** संविदा आधार पर अनुसंधान अधिकारी के रूप में ..... से प्रारम्भ होने और..... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में अनुसंधान अधिकारी के रूप में रहेगा। विनिर्दिष्ट रूप से यह उल्लिखित किया गया है और दोनो पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् को अर्थात्, ... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. **प्रथम पक्षकार** की संविदात्मक उपलब्धियां 9600/– रूपए प्रतिमास होगी।

3. **प्रथम पक्षकार** की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/ आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी को उस रिक्ति के विरुद्व नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया था तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदात्मक नियुक्ति, पदधारी को किसी भी दशा में नियमित सेवा के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

5. संविदा पर नियुक्त अनुसंधान अधिकारी एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। सविंदात्मक अनुसंधान अधिकारी को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश क्रमशः अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। नियमानुसार केवल प्रसूति अवकाश दिया जाएगा।

6. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त अनुसंधान अधिकारी कर्त्तव्य (कार्य) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक उपलब्धियों का हकदार नही होगा।

7. संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी अवस्था में अनुज्ञात नहीं होगा।

8. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक समय की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थी का प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः निरीक्षण किया जाना चाहिए ।

9. संविदा पर नियुक्त अधिकारी का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में, दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी ।

10. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति(यों) को सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ–साथ इ0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरुप प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त लिखी तारीख .....मास..... वर्ष ..... को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षी की उपस्थिति मेंः–

1.....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

2.....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षी की उपस्थिति मेंः –

1.....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

2.....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT NOTIFICATION NO. TCPA(3)-4/97, DATED 18-09-2007 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA)].

TOWN & COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 18th September, 2007

No. TCP-A(3)-4/97.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with H.P. Public Service Commission is pleased to make the following Rules further to amend the H.P. Town & Country Planning Department, Research Officer, Class-II (Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2003 notified vide this Department Notification of even number dated 27-10-2003, namely :-

1. *Short title and commencement.*—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh, Town & Country Planning Department, Research Officer, Class-II (Gazetted), Recruitment and Promotion (Ist Amendment) Rules, 2007.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment of Annexure "A".*—In Annexure "A" to the Himachal Pradesh, Town & Country Planning Department, Research Officer, Class-II (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2003,-

(a) For the existing provisions against column No.10 the following shall be substituted, namely:-

100% by promotion failing which by direct recruitment or on contract basis.

(b) After column No.15, the column No.15A shall be inserted as per the following :-

15 A. Selection for appointment to the post by contract appointment

(I) CONCEPT: (a) Under this policy, the Research Officer in the Department of Town & Country Planning, HP will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable for two more years.

(b) The Director, Town & Country Planning Department after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post(s) on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission for advertising the details of the vacant post in at least two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(d) Contract appointee so selected under these Rules will not have any right to claim for regularization or permanent absorption in Govt. job.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS : The Research Officer on contract basis will be paid contractual amount @ 9600/- per month (which shall be equal to initial of the pay scale + Dearness pay). An amount of Rs. 200/- as increase in contractual emoluments for the second and third years respectively will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III**)** APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY: The Administrative Secretary (TCP) to the Govt. of H.P.,will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS: Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment recruitment will be made on the basis of viva-voce test, or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. the H.P. Public Service Commission.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS: As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P. Public Service Commission from time to time.

(VI) AGREEMENT: After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS: (a) The Contract Appointee will be paid fixed contractual amount @ 9600/- per month (which shall be equal to initial of the pay scale + Dearness pay). The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ 200/- per annum for second and third years respectively and no other allied benefits such as senior/ selection scales etc. shall be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found good.

(c) Contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularization in service at any stage.

(d) Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/ She shall not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. Only Maternity Leave will be given as per rules.

(e) Unauthorized absence from the duties without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(f) Transfer of contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(g) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Govt./ Registered Medical Practitioner. Women candidate, pregnant beyond 12 weeks will be temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be reexamined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(h) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to Regular officials.

(VIII) RIGHT TO CLAIM REGULAR APPOINTMENT : The candidate engaged on contract basis under these rules shall have no right to claim for regularization/ permanent absorption as Research Officer in Department at any stage.

By order,
Sd/—
Secretary.

Form of contract/agreement to be executed between the Research Officer & the Government of Himachal Pradesh through Director H.P. Town & Country Planning Department

This agreement is made on this …… day of …… in the year…….Between Sh/Smt.....S/o/D/oShri…….....R/o…… ……,contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Director Town & Country Planning Department, Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Research Officer on contract basis on the following terms & conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Research Officer on contract basis for a period of 1 year commencing on day of …… and ending on the day of ……. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on …….. and information notice shall not be necessary.

2. The contractual emoluments of the FIRST PARTY will be Rs. 9600/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/ posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. The contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularization of service at any stage.

5. Contractual Research Officer will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Research Officer. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

6. Unauthorised absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Research Officer will not be entitled for contractual emoluments for the period of absence from duty.

7. Transfer of a official appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.

8. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ practitioner.

9. Contract Officer shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official.

10. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee (s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1…….
……..
…….
(Name and Full Address)

(signature of the FIRST PARTY)

2. …….
……..
…….
(Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1…….
……..
…….
(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2. …….
……..
…….
(Name and Full Address)

[*Authoritative English text of this Department notification number Fin (TR)A(3)11/ 2004, dated 23-7-2007 as required under Clause (3) of article 348 of the Constitution of India*].

FINANCE DEPARTMENT

(*Treasuries, Accounts & Lotteries*)

NOTIFICATION

Shimla-9, the 23 July, 2007

No. Fin.(TR)A(3)11/2004.— In exercise of the powers conferred by Clause (2) of article 283 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely:—

CHAPTER –I

Preliminary

1. *Short Title*.— These rules may be called the Himachal Pradesh Treasury Rules, 2006.

2. In these rules, unless the context otherwise required,—

(a) "the Bank" means the Reserve Bank of India, or any office or agency of the Reserve Bank of India, and includes the State Bank of Patiala, United Commercial Bank, Punjab Nation Bank Union Bank of India, Central Bank of India and Bank of India and any branch of the State Bank of India acting as the agent of the Reserve Bank of India in accordance with the provisions of the reserve Bank of India Act, 1934 (Act No. II of 1934);

(b) "Comptroller and Auditor Genera" means the Comptroller and Auditor General of India;

(c) "Constitution" means the Constitution of India;

(d) "Collector: means the Chief Officer of the revenue administration of district and includes any other officer for the time being authoried by Government to discharge the duties of the Collector for the purpose of these rules;

(e) "Consolidated Fund of the State" means the Consolidated Fund of the State maintained under article 266 of Constitution of India;

(f) "Contingency Fund of the State" mans the Contingency Fund of the State maintained under article 267 of Constitution of India;

(g) "Director" mans the Director of Treasuries, Accounts & Lotteries Department, Himachal; Pradesh;

(h) "Finance Department" means Finance Department of the Himachal Pradesh Government;

(i) "Finance Secretary" means Secretary-in-charge of Finance Department;

(j) "Indian Audit and Accounts Department" means the establishment of Government of India and subordinate to Comptroller and Auditor General of India which conduct audit of accounts and keeps accounts of the State Government;

(k) "Public Account of State" means the Public Accounts of the State maintained under clause(2) of article 266 of Constitution of India;

(l) "Pension Disbursement authority" means the concerned Bank or Treasury, as the case may be;

(m) "Treasury" means a District Treasury or a Sub-Treasury established by the State Government.

(n) "Treasury Officer" means District Treasury Officer or Treasury Officer-in-charge of the Treasury or Sub-Treasury;

(o) "Reserve Bank" means the Reserve Bank of India;

(p) "Accountant General" means the head of the office of Accounts and Audit of the Sate and subordinate to the Comptroller and Auditor General of India. Who keeps the accounts of the State and conduct audit of accounts of the State on behalf of the Comptroller and Auditor General of India; and

(q) "State and Government" means respectively the State and the Government of Himachal Pradesh.

CHAPTER–II

LOCATION OF MONEYS STANDING IN THE CONSOLIDATED FUND, THE CONTIGENCY FUND AND THE PUBLIC ACCOUNTS OF THE STATE

3. Subject to the provisions of sub-rule (2) of rule 7 and sub-rule (2) of rule 9 moneys standing in the Consolidated Fund, the Contingency Fund and the Public Account, as the case may be shall either be kept in a Treasury or in a Bank through a Treasury Challan. The accounts of the Government money received by the Bank shall be maintained in a Book by the Bank on behalf of the Governor and the deposits of such moneys in the Bank shall be governed by the terms and conditions of the agreement entered between the Government of the State and the Bank under section 21-A of the Reserve Bank of India Act, 1934 (Act II of 1934).

CHAPTER–III

GENERAL SYSTEM OF CONTROL OVER TREASURY.

(A) DISTRICT TREASURIES :

4. (1) Unless the Finance Department in consultation with the Accountant General, in any special case, otherwise direct, there shall be a district Treasury in every district. The Treasury of each district shall be divided into two departments i.e.

the department of accounts under the charge of Superintendent, Treasury and the department of stamps, opium and cash (in the case of non banking treasury) under the charge of District Treasurer. The general procedure in District Treasury shall be such as prescribed by the Finance Department in consultation with Accountant General, wherever required.

(2) The Treasury shall be under the general charge of the Treasury Officer but the over-all supervision shall be of the Director. The Treasury Officer shall be responsible for the proper implementation of the procedure prescribed by or under these rules and for the timely submission of all returns required for the Treasury by the Finance Department and the Accountant General. It shall be the duty of Treasury Officer to see that all the registers and records are maintained according to these rules and the procedure prescribed by the Finance Department.

(3) The duty of verifying and certifying the monthly cash balance, if any, in the Treasury in such manner as Finance Department may, in consultation with the Accountant General may prescribe and that of submitting the monthly accounts of such balance in such form and after such verifications as the State Accountant General may require, shall be undertaken by the Treasury Officer. The forms and returns from Treasury shall be as provided in Account Code-II oron the H.P. Treasury Procedure. The Director may also prescribe returns to be submitted by the Treasuries, as he thinks necessary.

(4) When a new District Treasury Officer is appointed to a District, he shall at once report his presence to the Director, Accountant General and the Bank.

(5) No part of the responsibility for the proper management and working of treasuries shall rest upon the offices of any other Department.

(6) The District Treasury Officer shall report immediately tot the Accountant General through Director, any serious irregularity in the treasury, accounts, defalcation, loss of public money, departmental revenue or receipts, stamps. Opium, stores or other property discovered in the treasury even though such loss has been made good by the person or persons responsible for the same.

(B) SUB-TREASURIES :

5. The arrangement, procedure and administration for the proper functioning of the Sub-Treasuries established as per necessity of the public business shall be such as may be prescribed by the Finance Department and if need be in consultation with the Accountant General. The daily accounts of receipts and payments of money at a Sub-Treasury shall be included in the accounts of District Treasury.

(C) OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL :

6. The Accountant General may, with the consent of and subject to such conditions and limitations as may be prescribed by the Comptroller and Auditor General of India, perform all or any of the specified duties of a treasury in respect of clams against the Government that may fall due for disbursement and moneys that may be tendered for credit to the Consolidated Fund, the Contingency Fund and Public Account of the State at the headquarters of the Government.

CHAPTER–IV

PAYMENT OF REVENUES OR PUBLIC MONEYS RAISED OR RECEIVED BY THE STATE GOVERNMENT INTO THE CONSOLIDATED FUND AND OTHER PUBLIC MONEYS INTO THE PUBLIC ACCOUNT

7. (1) Save as hereinafter provided in the chapter, all moneys received by or tendered to Government servants on account of the revenues of the Government or public moneys raised or received by the State Government shall, without undue delay be paid in full into the Treasury or into the Bank and shall be included in the Consolidated Fund of the State. Moneys received as aforesaid shall not be appropriated to meet departmental expenditure not otherwise kept apart from the Consolidated Fund. No department of the Government shall in any case be allowed to keep any money out of Consolidated Fund.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), direct appropriation of departmental receipts for departmental expenditure may be authorized by the Government in the following cases:—

(a) In the case of moneys received on account of the service of summonses, diet moneys of witnesses and similar purposes in Civil, Revenue and Criminal cases;

(b) In the case of deposits received at a Civil Court and utilized by the Court to meet claims or refund of such deposits;

(c) In the case of fees received by Government servants appointed Notaries Public under Notaries Act, 1952, Parliament Act No. 53 of 1952 and utilized to defray legal expenses incurred by them in the discharge of their duties as such Notaries Public;

(d) In the case of the Public Works Department to permit the use under departmental regulations of cash receipts temporarily for current works expenditure, or in every exceptional cases, for disbursement of pay and travelling allowances charges, where this course has been authorized by the Accountant General to prevent any abnormal delay in payment;

(e) In the case of cash received by the Forest Department and utilized in meeting immediate local expenditure;

(f) In the case of cash found on the persons of prisoners at the time of their admission to jail and used for repayment by Jail Superintendents under Departmental regulations of similar sums due to other prisoners on their release;

(g) In the case of moneys received from students on account of lost library books and utilized for the purchase of other books for the library;

(h) For replacement of apparatus damaged by students under training out of their caution money;

(i) In the case of receipts, realized under section 12 of the Cattle Tresspass Act, 1871, and utilized for payment and refunds due to owners of cattle under section 17 of the same Act;

(j) In the case of receipts on account of the market value of green fodder given to bullocks out of the farm produce of the Government Educational Institutions;

(k) In the case of Land Revenue assignments paid by Lambardars to assignees direct from the collection of Land Revenue when such payment is to be made under the provisions of Rules 52 and 55 of the Land Revenue Rules;

(l) In the case of remittances received from local bodies and other institutions entitled to purchase stationery against cash payments, which are to be returned to them by the State Stationery Office as being too late for supplies being made within a financial year. Provided that the authority hereby given to appropriate departmental receipts for departmental expenditure shall not be construed as authority to keep the departmental receipts and expenses defrayed therefrom outside the account of the payment into and the withdrawals from the Consolidated Fund for the State.

8. All moneys received by or deposited with a Government servant in his official capacity, other than revenues of public moneys raised or received by the Government of the State, shall be paid into the Public Account of the State.

9. (1) A Government servant may not except with the special permission of Government, deposit moneys in a bank withdrawn from the Consolidated Fund or Contingency Fund or Public Account of the State, as the case may be, under the provisions of Chapter VI of these rules.

(2) The Secretary of the Governor, may open an account in a Bank for the deposit of funds under the personal control of the Governor with the permission of the Governor.

10. The Government servants or other authorized Collecting agencies in receiving moneys on behalf of the State, granting receipts of such moneys and paying them into the Consolidated Fund or the Public Account of the State and the Treasury and the Bank in receiving moneys and granting receipts on this account shall follow such procedure as may be prescribed by the Finance Department.

CHAPTER–V

CUSTODY OF MONEYS RELATING TO OR STANDING IN THE CONSOLIDATED UNDER, THE CONTIGENCY FUND AND THE PUBLIC ACCOUNT

11. (1) The procedure for the safe custody of moneys in the hands of Government servant, or held in a Treasury shall be such as may be prescribed by the Finance Department in consultation with Accountant General.

(2) The Bank shall be responsible for the safe custody of Government moneys deposited in the Bank.

CHAPTER–VI

WITHDRAWAL OF MONEYS FROM THE CONSOLIDATED FUND OR THE CONTINGENCY FUND OR THE PUBLIC ACCOUNT

12. In this chapter withdrawal with its cognate expressions, refers to the withdrawal of funds from the Consolidated Fund or Contingency Fund or the Public Account, as the case may be, for disbursement.

13. Unless the Finance Department in consultation with Accountant General otherwise directs, in no case, moneys may be withdrawn from the Consolidated Fund or Contingency Fund or the Public Account as the case may be, without the written permission of the Treasury Officer or of an officer of the India Audit and Accounts Department authorized in this behalf by the Accountant General.

14. (1) Subject to the provisions of this chapter, a Treasury Officer may permit withdrawals for all or any of the following purposes, namely:—

(i) to pay sums due from the Government to the disbursing officer;

(ii) to provide the drawing officer with funds for meeting claims, likely to be presented against the Government in the immediate future by other Government servants or private parties;

(iii) to enable the disbursing officer to supply funds to another Government servant out of which similar claims are to be met;

(iv) To pay direct from the treasury or Bank sums due by Government to a private party;

(v) In case of a Government Officer or authority empowered to make investments of moneys standing in the Consolidated Fund or the Contingency Fund or the Public Account, as the case may be, for the purpose of such investments;

(2) Unless expressly authorized by the Accountant General, a Treasury Office shall not permit withdrawal for any purpose not specified in Clause (1) of this rule.

15. A. Treasury Officer shall not permit withdrawal to a person for any purpose, unless the claim for withdrawal is present by such person in such form, had has been satisfactorily scrutinized by the Treasury Officer in such manner as the Finance Department may prescribe. The Treasury Officer shall be responsible to ensure the validity of the claim.

16. A. Treasury Officer shall have no general authority to make payments on demands presented at the Treasury and his authority shall be limited to the making of payments authorized by or under these rules and procedure prescribed by the Finance Department and if need be by the Accountant General. If a demand of any kind is presented at a treasury for payment which is not authorized by or under these rules, the Treasury Officer shall decline to make payment for want of authority. A Treasury Officer shall have no authority to act under a general order of the Government unless there is an express order to make the payment.

17. A. Treasury Officer shall not honour a claim, which he considers to be disputable and he shall require the claimant to refer it to the Treasuries, Accounts & Lotteries Department or Finance Department or Accountant General or the Head of the Department or other responsible officer concerned or more than one of these authorities, as the case may be, through his controlling officer for clarification.

18. Except as provided in rules 19 and 20, a payment shall, unless Government by general or special order otherwise directs, be made in the district in which the claim arises. In case of doubtarisen the decision of the Finance Department shall be final.

19. Subject to any orders or procedure that may be prescribed by the Finance Department in the case of gazetted Government officer and in the department regulations in the case of non-gazetted Government servant, the leave salary of a Government servant when payable in India, shall be drawn from Treasury Officer of disbursement from which his pay was being drawn immediately before proceeding on leave and the Government servant shall make his own arrangements, where necessary, for getting his leave salary remitted to him. In a case where a period of leave is followed by transfer, such portion of the leave salary as could not be drawn at the old station may, however, be drawn at the treasury of pay of his new posting.

20. Pensions payable in India may be paid in any district or any State.

21. Entitlements of Government officials shall be worked out/determined by Head of Department or Head of Office or Drawing and Disbursing Officer or the Accountant General.

22. No withdrawal shall be permitted on a claim for the first of any series of payments in a district in respect of pay or allowances to a Government servant other than a person newly appointed to Government service, unless the claim is supported by a last pay certificate in such form as may be prescribed by the Government.

23. The Treasury Officer shall be responsible to the Government or Accountant General for acceptance of the validity of a claim against which he has permitted withdrawal.

24. The Treasury Officer shall obtain sufficient information as to the nature of every payment he is making and shall not accept a voucher which does not formally contains such sufficient information after recording reasons for non-acceptance.

25. A Government servant authorized to draw moneys by means of cheques shall notify to the Bank of the Treasury from which he draws money, the number of each cheque book brought into use and the number of cheques if contains.

26. A Government servant who is authorized by the competent authority to draw or countersign cheques or bills payable at the treasury or the Bank shall send a specimen of his signature to the Treasury Officer or the Bank, as the case may be, alongwith orders of thecompetent authority.

Note.— Specimen signatures when forwarded on a sheet of paper other than the forwarding letter must be duly attested by the officer signing the forwarding letter.

CHAPTER–VII

TRANSFER OF MONEYS STANDING IN THE CONSOLIDATED FUND, THE CONTINGENCY FUND AND THE PUBLIC ACCOUNT

27. Cash replenishment at non-banking sub-treasuries shall be done by the District Treasury concerned and shall be governed by such instructions as may be issued b by the Finance Department.

CHAPTER–VIII

RESPONSIBILITY FOR MONEY WITHDRAWN

28. If a Treasury Officer receives an intimation from the Accountant General that moneys have been incorrectly withdrawn and that a certain sum should be recovered from a drawing officer, he shall effect the recovery without delay and without regard to any correspondence undertaken or contemplated with reference to the retrenchment order; and the drawing officer shall without delay pay the sum in such manner as the Accountant General may direct.

29. (1) Subject to the provisions of these rules, the procedure to be followed by a Government servant for the disposal of moneys withdrawn from the Consolidated Fund or Contingency Fund or the Public Account, as the case may be for expenditure shall be such as may be prescribed by the Finance Department in consultation with the Accountant General, if required.

(2) A Government servant to whom funds are made available for expenditure shall be responsible for such funds until an account of these funds has been rendered to the satisfaction of the State Accountant General and shall ensure that payments are made to persons entitled to receive them.

(3) If any doubt arises to the identity of the Government servant by whom an account of such funds shall be rendered, the same shall be decided by the Government.

CHAPTER–IX

INTER-GOVERNMENT TRASNACTIONS

30. (1) Save as provided in this chapter, no transactions of the State with another Government shall be adjusted against the balance of the State, except in accordance with such directions as may be given by the Comptroller and Auditor General of India with the approval of the President, to regulate the procedure for the accounting of transactions between different Governments.

(2) Moneys presented within the jurisdiction of another Government for credit to the Consolidated Fund or the Contingency Fund or the Public Account, as he case may be, or a payment made by another Government as a withdrawal affecting the balance of the State shall not be credited or debited to the account of the State, except under express authority of the Accountant General or any other Accounting Officer authorized in this behalf by the Comptroller and Auditor General of India.

(3) All adjustments against the balance of the State by debit or credit to another Government shall be made though the Central Accounts Section of the Bank.

31. (1) The Treasury Officer may, subject to any general or specific directions of the Government in this behalf, receive or authorize the Bank to receive moneys tendered on behalf of another State in India and May, if so required by the Sate Accountant General, make or authorize payment of any claim against that State. The necessary credits or debits in respect of such receipts and payments against the balance of the State concerned shall be made by the Accountant General through the Central Accounts Section of the Bank, but until such adjustments are made, the credits and debits shall be entered in the Consolidated Fund or the Contingency Fund or the Public Account, as the case may be.

(2) Moneys paid or received in the office of the State Accountant General on behalf of another State or book entries made in the office of the State Accountant General affecting the accounts of another State shall likewise be adjusted by the Accountant General through the Central Accounts Section of the Bank against the balance of the State concerned.

CHAPTER–X

SUPPLEMENTAL

32. Nothing in these rules shall have effect so as to impede or prejudice the exercise by the Comptroller and Auditor General of the powers vested in him by or under the Constitution to make rules or to give directions regarding the submission to the Indian Audit and Accounts Department of the accounts kept in treasuries or in departmental offices, and to be accompanied by such vouchers for their support as the a Comptroller and Auditor General may require for the purposes of audit or for the purpose of keeping the accounts for which he is responsible.

33. The Finance Department may not exercise any powers conferred upon it by these rules so as to impose upon the Bank in connection with the business of the Government any responsibility not imposed upon the Bank by the terms of its agreement with the Government.

34. The detailed procedure for the implementation of these rules shall be as prescribed by the Finance Department in consultation with the Accountant General required.

35. H.P. Treasury Rules and Subsidiary Treasury Rules Volume-I issued vide Finance Department Office memo No. 12-40/68-Fin(R&E)III, dated 13.4.1971, are hereby repealed.

Provided that anything done or any action taken under the rules hereby repealed shall be deemed to have been done to taken under the corresponding provisions of these rules.

Sd/-
Secretary.

वित्त विभाग
(कोष, लेखा एवम् लाटरी)

अधिसूचना

शिमला–9, 23 जुलाई, 2007

संख्याः फिन.(टी आर)ए(3)11 / 2004.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :–

अध्याय–1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम :––** इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश खजाना नियम, 2007 है

2. **परिभाषाएँ :––**इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''बैंक'' से भारतीय रिजर्व बैंक, या भारतीय रिजर्व बैंक का कोई कार्यालय अथवा अभिकरण अभिप्रेत है, तथा इसमें स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, युनाइटिड कमर्शियल बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, युनियन बैंक ऑफ इण्डिया, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, और बैंक ऑफ इण्डिया तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का अधिनियम संख्याक 2) के उपबंधों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के अभिकर्ता के रूप में कार्यकरने वाली भारतीय स्टेट बैंक की कोई शाखा सम्मिलित है ;

(ख) ''नियन्त्रक एवम् महालेखापरीक्षक' से भारत का नियन्त्रक एवम् लेखा परीक्षक अभिप्रेत है

(ग) 'संविधान' से भारत का संविधान अभिप्रेत है;

(घ) ''कलक्टर' से जिला के राजस्व प्रशासन का मुख्य अधिकारी अभिप्रेत है तथा इसमें सरकार द्वारा इन नियमों के प्रयोजन हेतु कलक्टर के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए तत्समय प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी सम्मिलित है;

(ड.) 'राज्य की संचित निधि' से भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 के अधीन पोषित राज्य की संचित निधि अभिप्रेत है ;

(च) 'राज्य की आकस्मिकता निधि' से भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 के अधीन पोषित राज्य की आकस्मिकता निधि अभिप्रेत है ;

(छ) ''निदेशक'' से कोष, लेखा एवम् लाटरी विभाग हिमाचल प्रदेश का निदेशक अभिप्रेत है ;

(ज) ''वित्त विभाग' से हिमाचल प्रदेश सरकार का वित्त विभाग अभिप्रेत है ;

(झ) ''वित्त सचिव' से वित्त विभाग का प्रभारी सचिव अभिप्रेत है ;

(त्र) ''भारतीय लेखा परीक्षा एवम् लेखा विभाग' से भारत के नियन्त्रक एवम् महालेखा परीक्षा का संचालन करती है तथा राज्य सरकार के लेखों का रख रखाव करती है ;

(ट) 'राज्य लोक लेखा' से भारत के संविधान के 266 के खण्ड (2) के अधीन पोषित राज्य लोक लेखा अभिप्रेत है ;

(ठ) ''पैन्शन संवितरण प्राधिकारी' से, यथास्थिति, सम्बन्धि बैंक या खजाना अभिप्रेत है ;

(ड.) ''खजाना' से राज्य सरकार द्वारा स्थापित जिला खजाना या उपखजाना अभिप्रेत है;

(ढ) ''कोषाधिकारी'' से जिला कोषाधिकारी या खजाना या उप खजाना का प्रभारी कोषाधिकारी अभिप्रेत है ;

(ण) 'रिजर्व बैंक' से भारतीय रिजर्व बैंक अभिप्रेत है ;

(त) ''महालेखाकार' से राज्य के लेखा एवम् लेखा परीक्षा कार्यालय का प्रमुख और भारत के नियन्त्रक एवम् महालेखा परीक्षक का अधीनस्थ अभिप्रेत है, जो भारत के नियन्त्रक एवम् महालेखा परीक्षक की ओर से राज्य के लेखे रखता है तथा राज्य के लेखों की लेखा परीक्षा का संचालन करता है, और

(थ) 'राज्य एवम् सरकार' से क्रमशः राज्य एवम् हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ।

अध्याय–2

'राज्य की संचित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा में विद्यमान धन की अवस्थिति

3. नियम 7 के उप नियम (2) और नियम 9 के उप नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन, यथास्थिति संचित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा में विद्यमान धन या तो खजाना में रखा जाएगा या खजाना चालान के माध्यम से बैंक में रखा जाएगा । बैंक द्वारा प्राप्त सरकारी धन के लेखे सरकार की ओर से बैंक द्वारा एक बही में रखे जाऍगे और बैंक में ऐसे धन के निक्षेप भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का अधिनियम 2) की धारा 21–क के अधीन राज्य की सरकार और बैंक के मध्य किए गए करार के निबंधनों और शर्तों द्वारा विनियमित किए जाऍगे ।

अध्याय–3

'खजाना पर नियन्त्रण की साधार पद्धति'

(अ) जिला खजाने

4. (1) जब तक वित्त विभाग, महालेखाकार के परामर्श से, किसी विशेष मामले में, अन्यथा निर्देश न दें प्रत्येक जिले में एक जिला खजाना होगा । प्रत्येक जिले का खजाना दो विभागों में विभक्त होगा अर्थात खजाना अधीक्षक के भारसाधन के अधीन लेखा विभाग जिला कोषाध्यक्ष के भारसाधन के अधीन स्टाम्प, अफीम और रोकड़ विभाग (गैर बैंकिंग खजाना के मामले में)। जिला खजाना में साधारण पक्रिया, जहॉ अपेक्षित हो, ऐसी होगी, जैसी वित्त विभाग द्वारा महालेखाकार के परामर्श से विहित की गई हैं ।

(2) खजाना, कोषाधिकारी के साधारण भारसाधन के अधीन होगा, परन्तु समग्र पर्यवेक्षण निदेशक का होगा । कोषाधिकारी इन नियमों द्वारा या इनके अधीन विहित प्रक्रिया के उचित कार्यान्वयन के लिए और वित्त विभाग तथा महालेखाकार द्वारा खजाना से अपेक्षित समस्त विवरणियों को समय पर प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा । कोषाधिकारी का कर्तव्य यह देखना होगा कि समस्त रजिस्टर और अभिलेख इन नियमों तथा वित्त विभाग द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार रखे गए हैं ।

(3) खजाना में मासिक रोकड़ अतिशेष, को यदि कोई हो, ऐसी रीति में, वित्त विभाग महालेखाकार के परामर्श से विहित करें, सत्यापित और प्रमाणित करने तथा ऐसे अतिशेष के मासिक लेखे, ऐसे प्ररूप में और ऐसे सत्यापनों के पश्चात्, जैसी राज्य महालेखाकार अपेक्षा करे, प्रस्तुत करने का कर्तव्य, कोषाधिकारी का होगा । खजाना से सम्बन्धित प्ररूप और विवरणियॉ ऐसी होगी जैसी लेखा संहिता–2 में या हिमाचल प्रदेश खजाना प्रक्रिया में यथा.उपबंधित है । खजाने द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियॉ निदेशक भी, जैसा वह आवश्यक समझे, विहित कर सकेगा ।

(4) जिले के लिए जब नए जिला कोषाधिकारी की नियुक्ति होती है तो वह तुरन्त अपनी उपस्थिति की रिपोर्ट निदेशक, महालेखाकार तथा बैंक को करेगा ।

(5) खजानें के उचित प्रबन्ध और कार्यकरण के लिए कोई भी उत्तरदायित्व किसी अन्य विभाग के अधिकारियों के हाथ में नहीं रहेगा ।

(6) जिला कोषाधिकारी खजाना, लेखों, गबन लोक धन की हानि, विभागीय राजस्व या प्राप्तियों, स्टाम्पों, अफीम, स्टोर (भंडारों) या खजाने में पाई गई अन्य संपति में किसी गम्भीर अनियमितता की रिपोर्ट तुरन्त निदेशक के माध्यम से महालेखाकार को करेगा चाहे ऐसी हानि की उसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रतिपूर्ति कर दी गई हो ।

(ख) उप खजाने

5. लोक कारोबार की अवश्यकता के अनुसार स्थापित उप खजानों के उचित कृत्यकरण के लिए व्यवस्था, प्रक्रिया और प्रशासन ऐसे होगे जो वित्त विभाग द्वारा और यदि आवश्यकता हो तो महालेखाकार के परामर्श से विहित किए जाऍगे । उप–खजाना में धन की प्राप्तियों एवम् संदायों के दैनिक लेखे जिला खजाना के लेखों में सम्मिलित किए जाऍगे ।

(ग) महालेखाकार का कार्यालय

6. महालेखाकार, भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक की सहमति से और ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अध्यधीन जैसी उसके द्वारा विहित की जाऍ, सरकार के विरूद्ध दावों की बावत, जो संवितरण के लिए देय हो सकते हैं तथा धन जिसे सरकार के मुख्यालय में राज्य की संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा में जमा करने हेतू निविदत्त किया जा सकता है, खजाना के समस्त या किन्ही विनिर्दिष्ट कर्तव्यों का अनुपालन कर सकेगा ।

अध्याय 4

'राज्य सरकार द्वारा जुटाए गए या प्राप्त राजस्व अथवा लोक धन का संचित निधि में तथा अन्य लोक धन का लोक लेखा में संदाय'

7. (1) इस अध्याय में इसमें इसके पश्चात् यथा उपबंधित के सिवाय, सरकार के राजस्व या राज्य सरकार द्वारा जुटाए गए या प्राप्त लोक धन के कारण सरकारी कर्मचारियों द्वारा

प्राप्त या निविदत्त समस्त धन बिना असम्यक विलम्ब के पूर्णतः खजाना या बैंक में संदत्त किया जाएगा तथा राज्य की संचित निधि में सम्मिलित किया जाएगा । यथा पूर्वोक्त प्राप्त धन विभागीय व्यय को पूरा करने के लिए विनियोजित नहीं किया जाएग न ही अन्यथा संचित निधि से पृथक रखा जाएगा । सरकार के किसी भी विभाग को संचित निधि से बाहर किसी भी धन को रखने हेतु अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(2) उप नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, विभागीय व्यय के लिए विभागीय प्राप्तियों का सीधा विनियोजन सरकार द्वारा निम्नलिखित मामलों में प्राधिकृत किया जा सकता है:–

(क) सिविल, राजस्व और आपराधिक मामलों में समनों की तामील, साक्षियों के आहार धन तथा समरूप प्रयोजनों के कारण प्राप्त धन के मामले में;

(ख) सिविल न्यायालय में प्राप्त निक्षेपों और न्यायालय द्वारा ऐसे निक्षेपों का दावों के प्रतिदाय को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाने के मामले में;

(ग) नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का संसद अधिनियम संख्याक 53) के अधीन नियुक्त नोटरी पब्लिक से सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त फीस तथा उनके द्वारा नोटरी पब्लिक के रूप में अपने कर्तव्य के निर्वहन में उपगत विधिक व्ययों को अदा करने के मामले में ;

(घ) लोक निर्माण विभाग के मामले में विभागीय विनियमों के अधीन अस्थाई रूप से रोकड़ प्राप्तियों का चालू कार्य व्यय के लिए या बहुत असाधारण मामलों में, जहॉ संदाय में असामान्य विलम्ब के निवारण हेतु महालेखाकार द्वारा यह प्रक्रिया प्राधिकृत की गई है, वेतन और यात्रा भत्ते प्रभारों के संवितरण के प्रयोग हेतु अनुज्ञात करना;

(ड.) वन विभाग द्वारा प्राप्त तथा तत्काल स्थानीय व्यय का पूरा करने में उपयोग में लाए गए रोकड़ के मामले में;

(च) जेल में कैदियों के प्रवेश के समय उनके पास पाए गए और विभागीय विनियमों के अधीन जेल अधीक्षकों द्वारा अन्य कैदियों को उनके छोड़े जाने पर देय समरूप राशि के प्रतिसंदाय हेतु प्रयुक्त रोकड़ के मामले में ;

(छ) छात्रों से खोई हुई पुस्तकालय की पुस्तकों के कारण प्राप्त और पुस्तकालय के लिए अन्य पुस्तकों के क्रय हेतु उपयोग किए गए धन के मामले में ;

(ज) प्रशिक्षणाधीन छात्रों द्वारा क्षतिग्रस्त यंत्र के उनके अवधान द्रव्य में से प्रतिस्थापन हेतु ;

(झ) पशु अतिचार अधिनियम 1871 की धारा 12 के अधीन वसूल की गई और उसी अधिनियम की धारा 17 के अधीन पशुओं के स्वामियों को देय संदयों और प्रतिदायों के लिए उपयोग की गई प्राप्तियों के मामले में,

(त्र) सरकारी शिक्षण संस्थानों के कृषि उत्पाद में से बैलों को दिए गए हरे चारे के बाजार मूल्य के कारण प्राप्तियों के मामले में ;

(ट) लम्बरदारों द्वारा भू–राजस्व संग्रहण से सीधे समनुदेशितियों को संदत भू–राजस्व समनुदेशनों के मामले में, जब भू–राजस्व नियमों के नियम 52 और 55 के उपबंधों के अधीन ऐसा संदाय किया जाना है ;

(ठ) रोकड़ संदाय के विरूद्ध लेखन सामग्री क्रय करने हेतु हकदार स्थानीय निकायों का अन्य संस्थानों से प्राप्त विप्रेशणादेशों के मामले में जिसे राज्य लेखन सामग्री विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष के भीतर की जाने वाली आपूर्तिया के लिए बहुत देर होने के कारण उन्हें वापिस किया जाना है ;

परन्तु एतद् द्वारा विभागीय व्ययों हेतु विभागीय प्राप्तियों को विनियोजित करने के लिए दिए गए प्राधिकार का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि यह विभागीय प्राप्तियों को रखने और उनमें से राज्य की संचित निधि में संदाय करने और उसमें से प्रत्याहरणों के लेखें से बाहर व्यय चुकाने के लिए है ।

8. राज्य सरकार द्वारा जुटाए गए या प्राप्त राजस्व या लोक धन से अन्यथा सरकारी कर्मचारी द्वारा अपनी पदीय हैसियत में प्राप्त और निक्षिप्त समस्त धन राज्य के लोक लेखा में संदत किया जाएगा ।

9. (1) इन नियमों के अध्याय 6 के उपबंधों के अधीन सरकारी कर्मचारी, यथास्थिति, राज्य की संचित निधि या आकस्मिकता निधि या लोक लेखा से प्रत्याहृत धन का सरकार की विशेष अनुज्ञा के सिवाय, बैंक में निक्षेप नहीं कर सकेगा ।

(2) राज्यपाल का सचिव, राज्यपाल की अनुज्ञा से, राज्यपाल के वैयक्तिक नियंत्रण के अधीन निधियों के निक्षेप हेतु बैंक में खाता खोल सकेगा ।

10. राज्य की ओर से धन प्राप्त करने वाले, ऐसे धन की रसीद प्रदान करने वाले और उनका राज्य की संचित निधि में या लोक लेखा में संदाय करने वाले सरकारी कर्मचारी या अन्य स्रंग्रहण करने वाले प्राधिकृत अभिकरण तथा इस मद्दे धन प्राप्त करने वाले और रसीद प्रदान करने वाले खजाना और बैंक ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे जैसी वित्त विभाग द्वारा विहित की जाए ।

अध्याय – 5

संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से संबन्धित या उसमें जमा (रखे) धन की अभिरक्षा

11. (1) सरकारी कर्मचारी के पास या खजाना में धारित धन की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी वित्त विभाग द्वारा महालेखाकार के परामर्श से विहित की जाए ।

(2) बैंक में निक्षिप्त सरकारी धन की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए बैंक जिम्मेवार होगा ।

अध्याय–6

संचित निधि या आकस्मिकता निधि या लोक लेखा से धन का प्रत्याहरण

12. इस अध्याय में प्रत्याहरण इसके सजातीय पदों सहित, यथास्थिति, संचित निधि या आकस्मिकता निधि या लोक लेखा से संवितरण हेतु निधियों के प्रत्याहरण को निर्दिष्ट करता है ।

13. जब तक वित्त विभाग महालेखाकार के परामर्श से अन्यथा निदेश न दे, धन, यथास्थिति, संचित निधि या आकस्मिकता निधि या लोक लेखा से किसी भी दशा में, कोषाधिकारी या इस निमित महालेखाकार द्वारा प्राधिकृत भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग के अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना प्रत्याहृत नहीं किया जा सकेगा ।

14. (1) इस अध्याय के उपबंधों के अध्यधीन, कोषाधिकारी निम्नलिखित समस्त या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रत्याहरण अनुज्ञात कर सकेगा, अर्थातः—

(I) सरकार से देय राशियों का संवितरण अधि।कारी को संदाय करने के लिए ।

(II) अन्य सरकारी कर्मचारियों या प्राईवेट पक्षकारों द्वारा निकट भविश्य में सामान्यतः सरकार के विरूद्ध प्रस्तुत किए जाने वाले दावों की पूर्ति हेतु आहरण अधिकारी को निधियॉ उपलब्ध कराने के लिए,

(III) संवितरण अधिकारी, को अन्य सरकारी कर्मचारी को निधियों, जिसमें से समरूप दावों की पूर्ति की जा सके, की आपूर्ति करने हेतु समर्थ बनाने के लिए,

(IV) सरकार द्वारा प्राईवेट पक्षकार को देय राशियों का खजाना या बैंक से सीधे संदाय करना ।

(V) यथास्थिति संचित निधि या आकस्मिकता निधि या लोक लेखा में रखे धन का विनिधान करने हेतु सशक्त सरकारी अधिकारी या, प्राधिकारी की दशा में ऐसे विनिधानों के प्रयोजन के लिए,

(2) कोषाधिकारी इस नियम के खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट नहीं किए गए कियी प्रयोजन हेतु तब तक प्रत्याहरण अनुज्ञात नहीं करेगा जब तक कि महालेखाकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से प्राधिकृत न किया गया हो ।

15. कोषाधिकारी किसी व्यक्ति को किसी भी प्रयोजन हेतु प्रत्याहरण के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं करेगा जब तक ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रत्याहरण हेतु दावा ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है, और कोषाधिकारी द्वारा समाधानप्रद रूप से ऐसी रीति में संवीक्षा न की गई हो जैसी वित्त विभाग द्वारा विहित की जाए । कोषाधिकारी दावे की विधिमान्यता सुनिचित करने के लिए जिम्मेवार होगा ।

16. कोषाधिकारी को, खजाने में उपस्थापित (प्रस्तुत) मॉगों पर संदाय करने का कोई साधरण प्राधिकार नहीं होगा और उसका प्राधिकार इन नियमों और वित्त विभाग, और यदि आवश्यकता हो तो महालेखाकार द्वारा विहित प्रक्रिया द्वारा प्राधिकृत या इनके अधीन संदाय करने तक ही सीमित होगा । यदि खजाने में संदाय हेतु किसी प्रकार की मॉग उपस्थपित (प्रस्तुत) की जाती है जो इन नियमों द्वारा या इनके अधीन प्राधिकृत नहीं है, तो कोषाधिकारी प्राधिकार के अभाव में संदाय करने से इंकार करेगा । जब तक संदाय करने का अभिव्यक्त आदेश न हो, कोषाधिकारी को सरकार के साधारण आदेश के अधीन कार्य करने का कोई प्राधिकार नहीं होगा

17. कोषाधिकारी ऐसे दावे को स्वीकार नहीं करेगा जिसे वह विवादग्रस्त समझता है और वह दावेदार से अपने नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से इसे, स्पष्टीकरण हेतु यथास्थिति, खजाना, लेखा और लॉटरी विभाग या वित्त विभाग या महालेखाकार या विभागाध्यक्ष या अन्य सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारी या इन प्राधिकारियों में एक से अधिक को निर्दिष्ट करने की अपेक्षा करेगा ।

18. नियम 19 और 20 में यथा उपबंधित के सिवाय, जब तक सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश न दें, जिस जिले में दावा उदभूत होता है, वहीं संदाय किया जाएगा । जिस जिले में दावा उदभूत हुआ है, उसके संबंध में संदेह की दशा में वित्त विभाग का विनिश्यम अंतिम होगा ।

19. राजपत्रित सरकारी अधिकारी की दशा में किन्हीं आदेशों या प्रक्रिया जो वित्त विभाग सरकार द्वारा विहित किए जाऍ और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में विभागीय विनियमों के

अध्यधीन सरकारी कर्मचारी का अवकाश वेतन जब भारत में संदय हो, तो संवितरण के उस खजाना कार्यालय से लिया जाएगा जिससे उसका वेतन अवकाश पर जाने से ठीक पूर्व लिया जा रहा था तथा सरकारी कर्मचारी, जहॉ आवश्यक हो, अपना अवकाश वेतन उसे प्रेषित करवाने के लिए स्वयं व्यवस्था करेगा । ऐसी दशा में जहॉ अवकाश की अवधि का अनुसरण स्थानान्तरण (अंतरण) द्वारा होता है, अवकाश वेतन का ऐसा भाग जो पुराने स्थान पर नहीं लिया जा सका हो, तथापि उसकी नई तैनाती स्थान के खजाने या वेतन संवितरण के कार्यालय से लिया जा सकेगा ।

20. भारत में संदेय पैन्शनें किसी भी जिले में या किसी राज्य में संदत की जा सकती है ।

21. सरकारी कर्मचारियों की हकदारियॉ विभागाध्यक्ष या कार्यालय के प्रधान या आहरण एवं सवितरण अधिकारी या महालेखाकार द्वारा सुस्पष्ट की जाएगी ।

22. सरकारी सेवा में नव नियुक्त व्यक्ति से अन्यथा सरकारी कर्मचारी के वेतन या भत्तों की बावत जब तक दावा अंतिम वेतन प्रमाण पत्र द्वारा ऐसे प्रारूप में समर्थित न हो जैसा सरकार द्वारा विहित किया जाए तब तक जिले में दावे पर संदायों की किसी प्रथम आवली (श्रृॅखला) हेतु कोई प्रत्याहरण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

23. कोषाधिकारी, सरकार या महालेखाकार के प्रति दावे, जिसके विरूद्ध उसको प्रत्याहरण के लिए अनुज्ञात किया है, की विधिमान्यता की स्वीकृति हेतु जिम्मेवार होगा ।

24. कोषाधिकारी प्रत्येक संदाय जो वह कर रहा है की प्रकृति के बारे में पर्याप्त सूचना अभिप्राप्त करेगा तथा अस्वीकृति के लिए कारण अभिलिखित करने के पश्चात ऐसे वाउचर को स्वीकार नहीं करेगा जिसमें औपचारिक रूप से ऐसी पर्याप्त सूचना अन्तर्विष्ट न हो ।

25. चैकों के द्वारा धन का आहरण करने के लिए प्राधिकृत सरकारी कर्मचारी बैंक या खजाने को, जिससे वह धन का आहरण करता है, प्रयोग की जाने वाली प्रत्येक चैक बुक की संख्या तथा इसमें अन्तर्विष्ट चैकों की संख्या सूचित करेगा ।

26. कोई सरकारी कर्मचारी जो खजाना या बैंक में संदेय चैको यह बिलों का आहरण या प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत है यथास्थिति, समक्ष प्राधिकारी के आदेश की प्रति सहित अपना नमूना हस्ताक्षर कोषाधिकारी या बैंक को भेजेगा ।

टिप्पणः—अग्रेष्ण पत्र के माध्यम से अन्यथा नमूना हस्ताक्षर जब साधरण पत्र में अग्रेषित मिक जाता है, तो वह अग्रेषित पत्र को हस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अवश्य सत्यापित होना चाहिए ।

अध्याय—7

संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा में जमा (रखे) धन का अंतरण

27. गैर—बैंककारी उप—खजानों में नकदी (रोकड़) की पुनः पूर्ति सम्बन्धित जिला खजाना द्वारा की जाएगी और ऐसे निर्देशों द्वारा विनियमित की जाएगी जो वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए हो ।

अनुभाग—8

प्रत्याहृत धन के लिए उत्तरदायित्व

28. यदि कोषाधिकारी, महालेखकार से कोई सूचना प्राप्त करता है कि धन का गलती से प्रत्याहरण किया गया है और व्यतिपय राशि को आहरण अधिकारी से बसूल किया जाना चाहिए तो वह

कटौती आदेश के संदर्भ में कोई पत्र व्यवहार किए बिना या अनुहयात करके अविलम्ब बसूली करेगा और आहरण अधिकारी अविलम्ब राशि का उस रीति में जैसा कि महालेखाकार निदेश दे, संदाय करेगा ।

29. (1) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, व्यय हेतु, यथास्थिति, संचित निधि, आकस्मिकता निधि या लोक लेखा से प्रत्याहृत राशि के व्ययन के लिए, सरकारी कर्मचारी द्वारा अनुसरण में लाई जाने वाली प्रक्रिया वैसी ही होगी जैसी वित्त विभाग द्वारा, यदि अपेक्षित हो, महालेखाकार के परामर्श से, विहीत की जाए ।

(2) कोई सरकारी कर्मचारी जिसे व्यय हेतु निधियॉ उपलब्ध करवाई गई हो, जब तक राज्य महालेखाकार के समाधान के लिए इन निधियों का लेखा नहीं दे देता, ऐसी निधियों के लिए उतरदायी होग और यह सुनिश्चित करेगा कि निधियों का भुगतान (संदाय) उनको प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति को ही किया गया है ।

(3) यदि सरकारी कर्मचारी, जिसके द्वारा ऐसी निधियों के लेखों का हिसाब दिया गया है, की पहचान के सम्बन्ध में कोई संदेह उत्पन्न होता है तो उनका विनिश्चय सरकार द्वारा किया जाएगा ।

अध्याय–9

अर्न्तसरकारी संव्यवहार

30. (1) इस अध्याय में यथा उपबन्धित के सिवाय, राष्ट्रपति के अनुमोदन से भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा, विभिन्न सरकारों के मध्य संव्यवहारों का लेखा देने की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए दिए जाने वाले निदेशों के अनुसार के सिवाय राज्य के अतिशेष के विरूद्ध, राज्य का कोई संवयवहार किसी अन्य (दूसरी) सरकार के साथ समायोजित नहीं किया जाएगा ।

(2) किसी अन्य (दूसरी) सरकार की अधिकारिता में यथास्थिति, संचित निधि या आकस्मिकता निधि या लोक लेखा में जमा करने हेतु उपस्थापित(प्रस्तुत) धन या किसी अन्य (दूसरी) सरकार द्वारा राज्य के अतिशेष को प्रभावित करते हुए प्रत्याहरण के रूप में किया गया भुगतान, इस निमित, भारत के नियन्त्रक एवम् महालेखा परीक्षक द्वारा प्राधिकृत महालेखकार या किसी अन्य लेखाधिकारी के स्पष्ट प्राधिकार के अधीन के सिवाय, राज्य के लेखें में जमा या विकलित नहीं किया जाएगा ।

(3) किसी अन्य (दूसरी) सरकार में विकलन या जमा द्वारा राज्य के अतिशेष के विरूद्ध समस्त समायोजन बैंक के केन्द्रीय लेखा अनुभाग के माध्यम से किये जाऍगे ।

31. (1) कोषाधिकारी, इस निमित सरकार के किसी साधारण या विर्निदिष्ट निर्देशों के अध्यधीन, भारत में अन्य राज्य की ओर से निविदत धन को ग्रहण कर सकेगा या बैंक को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा, और यदि महालेखाकार द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, तो उस राज्य के विरूद्ध किसी दावे का संदाय कर सकेगा या संदाय प्राधिकृत कर सकेगा । सम्बन्धित राज्य के अतिशेष के विरूद्ध ऐसी प्राप्तियों और संदायों की बावत आवश्यक जमा या विकलन, महालेखकार द्वारा बैंक के केन्द्रीय लेखा अनुभाग के माध्यम से किया जाएगा, परन्तु जब तक ऐसे समायोजन नहीं हो जाते, जमा और विकलन, यथास्थि।ति, संचित निधि, या आकस्मिकता निधि या लोक लेखा में प्रविष्ट किया जाएगा ।

(2) किसी अन्य राज्य की ओर से महालेखाकार के कार्यालय में संदत या प्राप्त धन या अन्य राज्य के लेखों को प्रभावित करते हुए महालेखाकार के कार्यालय में की गई बही

प्रविष्टियॉ, सम्बन्धित राज्य के अतिशेष के विरूद्ध, महालेखकार द्वारा बैंक के केन्द्रीय लेखा अनुभाग के माध्यम से उसी प्रकार समायोजित की जाएगी ।

अध्याय–10

अनुपूरक

32. भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक पर इन नियमों का तथा इन नियमों के अन्तर्गत निर्धारित मानदण्डों का उनमें निहित शक्तियों के प्रयोग पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव या बाधा उत्पन्न नहीं होगी । संविधान के अन्तर्गत उन्हें कोषों या विभागीय कार्यालयों में रखे लेखों को भारत के लेखा परीक्षा एवम लेखा विभाग को प्रस्तुत करने का निर्देश देने तथा नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है । भारत के नियन्त्रक एवम् महा लेखापरीक्षक अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए ऐसे वाउचर (बीजक) जो लेखों के सत्यापन में सहायक है, उन्हें लेखा परीक्षा या लेखों की जॉच पड़ताल के लिए मॉग सकते हैं ।

33. वित्त विभाग इन नियमों द्वारा इसे प्रदत किन्हीं शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकेगा ताकि वह सरकार से इसके करार के निबधनों द्वारा सरकार के कारबार के संबद्ध में बैंक पर अधिरोपित नहीं किए गए किसी दायित्व को बैंक पर अधिरोपित कर सके ।

34. इन नियमों के क्रियान्यवन हेतु विस्तृत प्रक्रिया ऐसी होगी जो वित्त विभाग द्वारा, जहॉ कहीं अपेक्षित हो, महालेखाकार के परामर्श से, विहित की जाए ।

35. वित्त विभाग कार्यालय ज्ञापन संख्या 12–40 / 68–वित्त–(आर0एव0ई0)–III तारीख 13–4–1971 द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश ट्रेजरी रूल्ज और सबसिडयरि ट्रेजरी रूल्ज वाल्यूम I का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है :

परन्तु यह कि एतद्द्वारा निरसित ऐसे नियमों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाही, इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

हस्ता / –
सचिव ।

———

[*Authoritative English text of this Department Notification No. 12-4/74-Fin. (T&A–VII dated 29-8-2007 as required under Clause (3) Article 348 of the Constitution of India*].

FINANCE DEPARTMENT

(*Treasuries, Accounts & Lotteries*)

NOTIFICATION

Shimla-9, the 29 August, 2007

No. 12-4/74-Fin. (T&A)VII.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultationwith the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Rules further to amend the Finance Department, Treasuries, Accounts & Lotteries, Himachal Pradesh, Treasury Officer Class-II, (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1996 notified vide this Department

Notification No. 12-4/74-Fin(T&A) dated 5.8.1996 and amended vide Notification No. 12-4/74-Fin(T&A)VII dated 17-8-2005 & 23-12-2006, namely:—

1. *Short title and Commencement.*—(i) These rules may be called the Finance Department, Treasuries, Accounts & Lotteries, Himachal Pradesh Treasury Officer Class-II (Gazetted) Recruitment and Promotion (Third Amendment) Rules, 2007.

(ii) These Rules shall be deemed to have come into force *w.e.f.* 1-1-1996.

Amendment of Column-4.— 2. In Col. 4 of the Finance Department, Treasuries, Accounts & Lotteries, Himachal Pradesh, Treasury Officers Class-II(Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1996 for the existing provision the following shall be substitute namely:—

"Rs.7000-220-8100-275-10300-340-10980."

Sd/–,
Secretary .

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित